कार्यालय, प्राचार्य, शासकीय टी.सी.एल. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जांजगीर, जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) सें संबंद्ध

Grade - 'B' Accredited by NAAC

ई–मेल: tclpgcollege@gmail.com महाविद्यालय कोड–307 वेबसाईट–https://www.govttclpgcollege.ac.in

UGC CODE - 201050 **AISHE CODE - C-22319** **Mobile No. - 9589341000, 9425223065**

6.2.2 Policies, administrative set-up, appointment and service rules, procedures etc.

List of Enclosures:

1. **Conduct Rules.**
2. **Chhattisgarh Collegial Educational Service Rules**
3. **Chhattisgarh Collegial Non-teaching Service Rules**
4. **New P.G. Coerces Sanction Post**

Govt. T.C.L. P.G. College

PRINCIPAL
Principal
Govt. T.C.L. P.G. COLLEGE
JANJGIR, DISTT.-JANJGIR-CHAMPA (C.G.)

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16] रायपुर, बुधवार, दिनांक 16 जनवरी 2019 — पौष 26, शक 1940

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 16 जनवरी 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-12/2013/38-1. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग (महाविद्यालयीन शाखा, राजपत्रित) सेवा के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.-** (1) ये नियम छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा, राजपत्रित) भर्ती नियम, 2019 कहलायेंगे।
(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.-** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;
(ख) "आयोग" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;
(ग) "समिति" से अभिप्रेत है चयन समिति या विभागीय पदोन्नति समिति, जैसा कि अनुसूची-चार में विनिर्दिष्ट है;
(घ) "परीक्षा" से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 11 के अधीन आयोजित प्रतियोगी परीक्षा;
(ङ) "शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;
(च) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;
(छ) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(ज) "**अनुसूची**" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(झ) "**अनुसूचित जाति**" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(ञ) "**अनुसूचित जनजाति**" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ट) "**सेवा**" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा, राजपत्रित);

(ठ) "**राज्य**" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।

(ड) दिव्यांगजन से अभिप्रेत है,–

(1) ऐसा व्यक्ति, जो दृष्टिहीन हैं, यदि वह निम्नलिखित दशाओं में से किसी एक से ग्रस्त हो :–

(एक) दृष्टि का पूर्णतः अभाव हो;

(दो) बेहतर आंख में परिषांधी लेंस से दृष्टिगत तीक्ष्णता 6/60 या 20/200 (सैलन) से अधिक न हो, या

(तीन) सामने की दूर दृष्टि का क्षेत्र 20 अंश के कोण तक सीमित हो या उससे कम हो।

(2) ऐसा व्यक्ति जो बहरा हो, यदि उसमें दैनिक प्रयोजन के लिये अपेक्षित श्रवण संवेदना का अभाव हो, यहां तक कि वह विस्तारित आवाज को भी बिल्कुल सुन या समझ नहीं सकते । ऐसे व्यक्ति इस प्रवर्ग में शामिल होंगे, जिनमें सुनने का ह्रास बेहतर कान में 80 डेसिबल से अधिक (अधिकतम कमी) हो या दोनो कानों में सुनने का पूरा ह्रास हो।

(3) उन व्यक्तियों को शारीरिक अशक्तता से ग्रसित समझा जायेगा, जिनमें ऐसा कोई शारीरिक दोष या विकृति हो, जिससे शरीर में हड्डियों, मांस पेशियों या जोड़ो की सामान्य कियाशीलता में बाधा पहुंचती हो।

(ढ) "नेट" से अभिप्रेत है यूजीसी/सीएसआईआर द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा;

(ण) "सेट/स्लेट" से अभिप्रेत है राज्य पात्रता परीक्षा, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा संचालित अथवा 02.06.2002 को या उसके पूर्व किसी अन्य राज्य द्वारा संचालित सेट/स्लेट परीक्षा।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**– सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:–

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनूसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न हैसियत से धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गये हों।

5. **वर्गीकरण तथा वेतनमान इत्यादि.**– सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची–एक में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार होंगे:

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में, समय–समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा।

6. **भर्ती का तरीका.**– (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात्:–

(क) चयन (प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार) के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये; और

(घ) शासन द्वारा किसी महाविद्यालय को लिए जाने के पश्चात्, नियम 17 में विहित प्रक्रिया के अनुसार आमेलन द्वारा ।

(2) उप–नियम (1) के खण्ड (क), (ख) या (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची–दो में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर शासन द्वारा आयोग के परामर्श से अवधारित की जाएगी।

(4) उप–नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो शासन, आयोग से परामर्श पश्चात्, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किए गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा उक्त अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति.–** इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां, शासन द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.–** सीधी भर्ती/चयन हेतु पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:–

(एक) आयु– (क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची–तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए भी, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी:–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु

इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ड.) ऐसा अभ्यर्थी, जो "भूतपूर्व सैनिक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो, अर्थात्:–

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें–

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(तीन) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं);

(चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक/अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में, 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए

छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ञ) सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/कीड़ाधिकारी के पद में भर्ती के लिये शासकीय सेवा में प्रवेश करने हेतु उपरोक्त किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के आधार पर छूट प्रदान करने के उपरांत अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ट) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

टीप–(1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें नियम 8 के खण्ड (एक) के उप–खण्ड (घ) के पैरा (एक) एवं (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(दो) **शैक्षणिक अर्हताएं** – अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये यथा विहित शैक्षणिक अर्हताएं होना चाहिए, जैसा कि अनुसूची–तीन में दर्शित है:

परन्तु –

(1) आपवादिक मामलों में, आयोग, शासन की सिफारिश पर, किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा, जो यद्यपि इस खंड में विहित की गई अर्हताओं में से कोई अर्हता न रखता हो, किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो, जिसके कारण आयोग अभ्यर्थी का परीक्षा/चयन में सम्मिलित किया जाना न्यायोचित ठहराता हो; और,

(2) ऐसे अभ्यर्थियों को, जो अन्यथा अर्ह हो, किन्तु जिन्होंने विदेशी विश्वविद्यालयों से, जो ऐसे विश्वविद्यालय है, जिन्हें सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता प्रदान नहीं की गई हैं, आयोग के विवेकानुसार परीक्षा/चयन हेतु शामिल किये जाने के लिये विचार किया जा सकेगा।

(तीन) फीस:– (क) अभ्यर्थी को आयोग द्वारा यथा विहित फीस का भुगतान करना होगा।

(ख) उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें चिकित्सा मंडल के समक्ष उपस्थित होने के लिए अपेक्षित किया गया हो, चिकित्सीय परीक्षा के पूर्व चिकित्सा मंडल के अध्यक्ष को ऐसी फीस का भुगतान करना होगा, जैसा कि शासन द्वारा विहित की जाए।

9. निरर्हता.– (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर, समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, आयोग द्वारा परीक्षा/चयन हेतु शामिल होने के लिये निरर्हित माना जायेगा।

(2) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये:

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि

यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, के पश्चात, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे नैतिक अधोपतन से संबंधित किसी अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा, जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के बारे में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा.**— (1) चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे परीक्षा/साक्षात्कार हेतु आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि आयोग के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, आयोग द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

11. **चयन (प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार) के माध्यम से सीधी भर्ती.**— (1) सेवा में भर्ती के लिये चयन ऐसे अंतरालों पर आयोजित की जायेगी, जैसा कि शासन, आयोग के परामर्श से, समय–समय पर अवधारित करे।

(2) प्रतियोगी परीक्षा, ऐसे पाठ्यक्रम, परीक्षा योजना तथा निर्देशों के अनुसार आयोग द्वारा आयोजित की जायेगी, जैसा कि शासन द्वारा आयोग के परामर्श से समय–समय पर जारी किया जाये। आयोग, यदि उचित समझे, शासन के परामर्श से इस सेवा या किसी अन्य सेवा में भर्ती के लिये संयुक्त परीक्षा आयोजित करेगा।

(3) सेवा में अभ्यर्थियों का चयन ऐसी रीति से की जायेगी, जैसा कि आयोग द्वारा अवधारित किया जाये।

(4) सेवा में भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (कमांक 21 सन् 1994) के उपबंध तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस अधिनियम के अधीन समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

(5) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिये 30 प्रतिशत पदों को आरक्षित रखा जायेगा। यह आरक्षण समस्तर और प्रभागवार होगा। उक्त उपबंध के अध्यधीन रहते हुये नियुक्तियों में विधवा अथवा तलाकशुदा महिला को अधिमान दिया जायेगा ।

(6) उपरोक्त के अतिरिक्त दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिकों के लिये पदों को, शासन द्वारा समय–समय पर बनाये गये अधिनियम/नियम/जारी किये गये आदेश/निर्देश के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा।

(7) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थियों, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी कम में विचार किया जायेगा, जिस कम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(8) उपरोक्त के अतिरिक्त, अभ्यर्थी, जो महिला/दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिक हैं और जिनका आरक्षण के फलस्वरूप चयन किया गया है, की नियुक्ति के लिए उसी कम में विचार किया जायेगा, जिस कम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(9) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा नियुक्ति के लिये पात्र घोषित किया गया हो, को उप–नियम (7) के अनुसार, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(10) ऐसे मामलों में, जहाँ सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और शासन की राय में यह पाया जाता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो शासन, आयोग से परामर्श पश्चात्, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

12. आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची.– (1) आयोग, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों जैसा कि आयोग द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों एवं प्रत्येक प्रवर्ग के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों की, जो महिला/दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिक के प्रवर्ग में आरक्षण के फलस्वरूप चयनित किये जायें, उनके मेरिट क्रम से सूची तैयार करेगा तथा शासन को अग्रेषित करेगा, जिसकी नियुक्ति हेतु वैधता, शासन को सूची के भेजे जाने की तिथि से एक वर्ष की होगी।

(2) उप–नियम (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये आयोग की वेबसाइट पर अधिसूचित की जायेगी।

(3) आयोग द्वारा रिक्त पदों को भरने के लिये प्रत्येक प्रवर्ग हेतु एक चयन सूची तैयार की जायेगी, ऐसे प्रवर्गों के लिये एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जायेगी, जिसमें न्यूनतम एक नाम तथा रिक्त पदों के अधिकतम 25 प्रतिशत तक नाम सम्मिलित होंगे। सूची की वैधता, ऐसी चयन सूची के जारी होने की तिथि से डेढ़ वर्ष की होगी।

स्पष्टीकरण– प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्त पदों की 25 प्रतिशत तक आंकलन करने के लिए, इसे पूर्णांक में लाने हेतु, अंक को अगले पूर्णांक तक बढ़ा दिया जायेगा।

(4) आयोग, उप–नियम (1) एवं (3) के अधीन तैयार की गई चयन सूची, शासन को नियुक्ति के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित करेगा। तथापि, प्रतिक्षा सूची से नियुक्ति, आयोग की सहमति के बिना नहीं की जा सकेगी।

(5) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(6) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिये कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि शासन का ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(7) कोई अभ्यर्थी, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित है, वैधता अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने या त्यागपत्र देने या किन्ही कारणों से वह अयोग्य पाये जाने पर या वैधता अवधि के दौरान चयनित अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर, आयोग द्वारा प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु अनुशंसित किये जा सकेंगे।

(8) यदि प्रतिक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम भेजे जाने के लिये शासन से अनुरोध प्राप्त होता है तो आयोग, उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार, प्रतीक्षा सूची से नाम, अनुशंसित करेगा तथा इसे शासन को भेजेगा।

(9) शासन से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् आयोग, शासन को विधिमान्य कारणों का कथन करते हुए अधिकतम 6 माह के लिये चयन सूची की वैधता अवधि में वृद्धि कर सकेगा।

(10) चयन सूची की वैधता अवधि में 6 माह की वृद्धि किए जाने पर, प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि में 6 माह की स्वतः वृद्धि होना माना जायेगा।

(11) उप–नियम (9) एवं (10) के अधीन तैयार की गई चयन सूची की वैधता में, आयोग द्वारा तब तक कोई वृद्धि नहीं की जायेगी, जब तक कि शासन, युक्तियुक्त कारण का कथन करते हुए वृद्धि करने हेतु कोई अनुशंसा नहीं करता।

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.–** (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए, एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची–चार में उल्लिखित सदस्य सम्मिलित होंगे:

परन्तु इस उप–नियम के अधीन, समिति के गठन के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंधों का भी अनुसरण किया जाएगा।

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक न हो।

(3) प्रत्येक पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा मॉडल रोस्टर के अनुसार होगी।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रकिया, उप–नियम (3) तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन– नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन्

1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों का पालन किया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।

14. **पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें.**– (1) उप–नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में, जिनसे पदोन्नति की जानी है जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट है अथवा शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में), उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण– पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति– संबंधित वर्ष, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक, फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) (एक) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति वरिष्ठता सह उपयुक्तता (सीनियारिटी कम फिटनेस) के आधार पर या अनुपयुक्त व्यक्ति को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो, वहां सभी वर्गों के लिए विचारण हेतु कोई आधार नही होगा। केवल लोक सेवकों की ऐसी संख्या के प्रस्तावों पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जायेगा, जो की प्रत्येक प्रवर्ग में विद्यमान तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्त पदों की संख्या को भरने के लिए प्रर्याप्त होगी।

(दो) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति योग्यता सह वरिष्ठता (मेरिट कम सीनियारिटी) आधार पर की जानी हो वहां विचारण क्षेत्र, कुल रिक्त

पदो के दो गुने से चार अधिक होगा। यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शासकीय सेवक पदोन्नति के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, तो विचारण क्षेत्र में कुल रिक्त पदों के 7 गुने तक वृद्धि की जा सकेगी तथा आरक्षित पदों की पूर्ति, उपरोक्त उल्लिखित विचारण क्षेत्र में आये आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों से की जा सकेगी। समिति, उक्त विचारण क्षेत्र से प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा 1 वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त तथा पदोन्नति के कारण प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए विचार करेगी।

(3) उप–नियम (2) के अधीन प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त उपरोक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के नाम चयन सूची में सम्मिलित करने के प्रयोजन से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर विचार किया जायेगा।

(4) शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

(5) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेश पदोन्नति हेतु लागू होंगे।

15. उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.– (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 13 एवं 14 में विहित शर्तो को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, चयन सूची के तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। इसके अतिरिक्त उक्त अवधि के दौरान होने वाले अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये एक आरक्षित सूची तैयार की जायेगी, जिसमें प्रत्येक प्रवर्ग से 1 एवं न्यूनतम 25 प्रतिशत तक नाम सम्मिलित होंगे।

(2) उपयुक्त अधिकारियों की सूची, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जायेगी।

(3) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जायेगा।

(4) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण में, सेवा के किसी सदस्य का अवक्रमण किया जाना प्रस्तावित है, तो यथास्थिति, समिति, प्रस्तावित अवक्रमण के संबंध में अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा।

16. आयोग से परामर्श.– (1) नियम 15 के अनुसार तैयार की गई सूची, शासन द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आयोग को भेजी जायेगी:–

(एक) सूची में सम्मिलित समस्त व्यक्तियों के अभिलेख।

(दो) अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित समस्त ऐसे सदस्यों के अभिलेख, जिसका सूची में यथा अनुशंसित अवकमण किया जाना प्रस्तावित है।

(तीन) अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथा उल्लिखित सेवा के किसी सदस्य के प्रस्तावित अवकमण के लिए समिति के लेखबद्ध कारण।

(चार) समिति की अनुशंसाओं पर शासन की टिप्पणियां।

(2) यदि पदोन्नति समिति में आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य, जो अध्यक्ष/आयोग द्वारा नामांकित किया गया हो, उपस्थित रहे हों तथा यदि बैठक की कार्यवाही विवरण पर, अध्यक्ष सहित समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हों तो उप–नियम (1) के अधीन उपर्युक्त कार्यवाही अपेक्षित नहीं होगी तथा यह माना जायेगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उप–खण्ड (ख) के अधीन आयोग से परामर्श करने संबंधी अपेक्षा का अनुपालन किया गया है तथा आयोग के साथ पृथक परामर्श करने की आवश्यकता नहीं होगी।

17. आमेलन द्वारा भर्ती.– (1) शासन द्वारा, कार्यभार ग्रहण किये गए अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य, प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल और क्रीड़ाधिकारी का आमेलन, छानबीन समिति द्वारा प्रत्येक प्रकरण का परीक्षण

करने के उपरांत, की गई उनकी अनुशंसा पर किया जाएगा। समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :–

(एक) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग का कोई सदस्य;

(दो) प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन;

(तीन) आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन;

(चार) सरकारी स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के दो प्राचार्य, जिन्हें शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाएंगे;

(पांच) यदि उपरोक्त (एक) से (चार) तक में अजा/अजजा वर्ग का कोई सदस्य न हो, तो इस प्रवर्ग से न्यूनतम एक सदस्य, शासन द्वारा नामांकित किया जायेगा।

(2) छानबीन समिति, समुचित पदों पर आमेलन के लिए उसे निर्दिष्ट मामलों के बारे में निम्नलिखित आधारों पर सिफारिश करेगी :–

(एक) वे समस्त व्यक्ति, जिन्हें छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा अनुदान आयोग के प्रारंभ के पूर्व, शासन द्वारा कार्य–भार ग्रहण किए गए निजी महाविद्यालयों में संबंधित विश्वविद्यालय की महाविद्यालयीन संहिता में दिए गए उपबंधो के अनुसार नियमित नियुक्ति के रूप में भर्ती किया गया था;

(दो) छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम, 1967 एवं छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालय शाखा) भर्ती नियम, 1990 के प्रारंभ होने के पश्चात्, भर्ती किया गया ऐसा कोई व्यक्ति, जो उक्त नियमों में विहित न्यूनतम अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता है, आमेलित नहीं किया जाएगा;

(तीन) किसी व्यक्ति को आमेलित नहीं किया जाएगा, यदि उसे पूर्व में किसी भी समय शासकीय या किसी अन्य सेवा में साबित हुए अवचार और/या दाण्डिक अपराध के कारण हटाया गया हो या पदच्युत किया गया हो;

(चार) किसी व्यक्ति को शासकीय सेवा में आमेलित नहीं किया जाएगा, यदि उसने आमेलन के समय प्रवृत्त शासकीय नियमों के अनुसार अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर ली हो;

(पांच) किसी व्यक्ति को, जो राज्य सरकार द्वारा, कार्यभार ग्रहण किए गए किसी अशासकीय महाविद्यालय में रजिस्ट्रार या ग्रंथपाल या कीड़ाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया हो या उस रूप में पद धारण कर रहा हो, तब तक शासकीय सेवा में आमेलित नहीं किया जाएगा, जब तक कि नियुक्ति के समय ऐसा व्यक्ति न्यूनतम् अपेक्षाओं की पूर्ति न करता हो या ऐसी अर्हताएं धारण न करता हों, जो राज्य शासन द्वारा लिखित आदेश द्वारा अधिकथित की जाए;

(छः) किसी व्यक्ति को शासकीय सेवा में आमेलित नहीं किया जाएगा, जिसकी नियुक्ति को, यथास्थिति, छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा अनुदान आयोग या विश्वविद्यालय द्वारा नियमित नियुक्ति के रूप में अनुमोदित नहीं की गई हैं।

(3) (एक) किसी व्यक्ति को शासकीय सेवा में उस पद से उच्च पद पर आमेलित नहीं किया जाएगा, जिस पर कि वह शासन द्वारा महाविद्यालय के कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व कर कार्य रहा था;

(दो) स्नातक महाविद्यालय के प्राचार्य के रुप में आमेलन किये जाने के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो शासन द्वारा कार्यभार ग्रहण किये गए किसी महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में कार्य कर रहा हैं, इस नियम में विहित अन्य शर्तों के अतिरिक्त, यह आवश्यक है कि उसे न्यूनतम 14 वर्ष का अध्यापन का अनुभव हो जिसमें से तीन वर्ष का अध्यापन का अनुभव स्नातकोत्तर कक्षाओं के अध्यापन का हो और दो वर्ष का अध्यापन का अनुभव प्राध्यापक के रूप में हों, स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर आमेलन के लिए, उपरोक्त के अतिरिक्त, दो वर्ष का स्नातक महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक होगा।

(4) इस नियम के सुसंगत उपबंधों पर विचार करने के पश्चात्, छानबीन समिति, शासन को उपयुक्त सिफारिश करेगी। समिति की सिफारिश किए जाने के पश्चात्, शासन द्वारा संबंधित व्यक्ति के आमेलन आदेश, समिति की सिफारिश के अनुसार जारी की जाएगी।

(5) किसी विशिष्ट पद पर आमेलित व्यक्ति की वरिष्ठता, उस महाविद्यालय के अधिग्रहण तिथि से होगी।

(6) किसी अशासकीय महाविद्यालय में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा शासकीय सेवा में उसके आमेलन पर कोई अवकाश अग्रणित किया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । तथापि, अशासकीय महाविद्यालय में की गई सेवा के संबंध में यदि ऐसा व्यक्ति अवकाश वेतन अभिदाय का भुगतान करता है तो उसे इस प्रकार अर्जित अवकाश को अग्रणित करने हेतु छत्तीसगढ़ अवकाश नियम में विहित निर्बंधनों तथा अधिकतम् सीमाओं के अधीन रहते हुए अनुज्ञात किया जाएगा।

(7) इस नियम के उपबंधो के अनुसार शासकीय सेवा में आमेलित कोई व्यक्ति, इस तथ्य के आधार पर कि अशासकीय महाविद्यालय द्वारा पूर्व में ही सेवा से उसे स्थायी किया जा चुका था, अधिकार के तौर पर यह दावा नहीं कर सकेगा कि उसे शासकीय सेवा में स्थायी किया जाए. ऐसे व्यक्ति का स्थायीकरण समय–समय पर प्रवृत्त शासकीय नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(8) इन नियमों के उपबंधों के बारे में यही और सदैव यही समझा जाएगा कि वे 1 जनवरी 1971 से प्रवृत्त हुए हैं।

(9) शासन द्वारा, कार्यभार ग्रहण किए गए अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल तथा कीड़ाधिकारी, जिसकी नियुक्ति, यथास्थिति, छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा अनुदान आयोग या विश्वविद्यालय द्वारा नियमित नियुक्ति के रूप में अनुमोदित की गई थी, किन्तु जिन्हें छानबीन समिति द्वारा किसी भी कारण से शासकीय सेवा में आमेलित किए जाने हेतु अग्रहीत (अस्वीकार) किया गया था उस पद पर जिसे वे धारित किये थे, तदर्थ और अस्थायी आधार पर समाप्त होने वाली कैडर (डाइंग कैडर) के रूप में बने रहेंगें, किन्तु उन्हें शासकीय सेवा में उस रूप में वरिष्ठता पदोन्नति, वार्षिक वेतन वृद्धि तथा वेतनमान पुनरीक्षण के लाभ प्राप्त नही होंगे।

18. चयन सूची.– (1) आयोग, शासन से प्राप्त दस्तावेजों के साथ–साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा, यदि उसकी राय हो कि इसमें कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है तो वह सूची को अनुमोदित करेगा।

(2) यदि आयोग, शासन से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझता है तो आयोग, प्रस्तावित परिर्वतनों के संबंध में शासन को सूचित करेगा तथा इस पर विचार करने के पश्चात यदि शासन कोई मत प्रकट करे तो ऐसे मत पर ध्यान देते हुए, ऐसे उपांतरणों सहित, यदि कोई हो, जो उसकी राय में न्यायोचित तथा उपयुक्त हो, सूची को अनुमोदित करेगा।

(3) आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से अनुसूची–चार के कॉलम (3) में यथा उल्लिखित पदों पर सिविल सेवाओं के सदस्यों की पदोन्नति के लिये अनुमोदित चयन सूची होगी।

(4) चयन सूची सामान्यतः इसके तैयार किये जाने की तारीख से 31 दिसंबर तक विधिमान्य रहेगी :

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, शासन के अनुरोध पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और आयोग, यदि वह उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

19. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.–** (एक) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्ति में उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा, जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में आये हों।

(दो) साधारणतः उस अधिकारी की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो शासन की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो।

20. **परिवीक्षा.**– (1) (क) सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

(ख) परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, यदि कार्य असंतोषजनक पाया जाता है, तो परिवीक्षा की अवधि अधिकतम 1 वर्ष तक की कालावधि के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बढ़ायी जा सकेगी।

(ग) परिवीक्षा की अवधि या बढ़ायी गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा अवधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय हो कि कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने के योग्य नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(2) सेवा में पदोन्नति से भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 वर्ष की कालावधि के लिये स्थानापन्न हैसियत से नियुक्त किया जायेगा।

21. **निर्वचन.**– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता हो, तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

22. **शिथिलीकरण.**– इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

23. **निरसन एवं व्यावृत्ति.**– (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंधित अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, सचिव.

अनुसूची–एक
(नियम 4 एवं 5 देखिये)

स.क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आयुक्त, उच्च शिक्षा	01	प्रथम श्रेणी	37,000–67,000 + ए.जी.पी. 10,000
2.	प्राचार्य – स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा	58+6	प्रथम श्रेणी	37,400–67,000 + ए.जी.पी. 10,000 + विशेष वेतन 3000
3.	प्राचार्य, स्नातक महाविद्यालय, संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा तथा राज्य सम्पर्क अधिकारी (राष्ट्रीय सेवा योजना)	187+6	प्रथम श्रेणी	37,400–67,000 + ए.जी.पी. 10,000 + विशेष वेतन 2000
4.	प्राध्यापक एवं उपसंचालक, उच्च शिक्षा	592+6	प्रथम श्रेणी	37,400–67,000 + ए.जी.पी. 10,000
5.	पदोन्नत प्राध्यापक	संख्या निर्धारित नहीं	प्रथम श्रेणी	37,400–67,000 + ए.जी.पी. 10,000
6.	सह–प्राध्यापक	संख्या निर्धारित नहीं	प्रथम श्रेणी	37,400–67,000 + ए.जी.पी. 9,000

7.	(क) सहायक प्राध्यापक	3855	द्वितीय श्रेणी	15,600–39,100 + ए.जी.पी. 6,000
	(ख) सहायक प्राध्यापक (रू. 6000 से अधिक ए. जी.पी.)	–	प्रथम श्रेणी	15,600–39,100 + ए.जी.पी. 7,000 15,600–39,100 + ए.जी.पी. 8,000 37,400–67,000 + ए.जी.पी. 9,000
8.	(क) क्रीड़ा अधिकारी	116	द्वितीय श्रेणी	15,600–39,100 + ए.जी.पी. 6,000
	(ख) क्रीड़ा अधिकारी (रू. 6000 से अधिक ए.जी.पी.)	–	प्रथम श्रेणी	15,600–39,100 + ए.जी.पी. 7,000 15,600–39,100 + ए.जी.पी. 8,000 37,400–67,000 + ए.जी.पी. 9,000
9.	(क) ग्रंथपाल	125	द्वितीय श्रेणी	15,600–39,100 + ए.जी.पी. 6,000
	(ख) ग्रंथपाल (रू. 6000 से अधिक ए.जी.पी.)	–	प्रथम श्रेणी	15,600–39,100 + ए.जी.पी. 7,000 15,600–39,100 + ए.जी.पी. 8,000 37,400–67,000 + ए.जी.पी. 9,000

अनुसूची–दो
(नियम 6 देखिये)

स.क	सेवा /पद का नाम	कर्तव्य पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6(1) (क) देखिये)	पदोन्नति द्वारा (नियम 6(1) (ख) देखिये)	अन्य सेवाओं से व्यक्ति के स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा (नियम 6(1) (ग) देखिये)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा राजपत्रित)						
1.	आयुक्त, उच्च शिक्षा	01	–	–	100%	भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति से
2.	प्राचार्य, स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा	58+8	–	100%	–	राज्य संपर्क अधिकारी, उपाधि प्राचार्य के काडर में से होगा जिसे राष्ट्रीय सेवा योजना का सात वर्ष के कार्य का अनुभव हो।
3.	प्राचार्य, स्नातक महाविद्यालय, संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा तथा राज्य संपर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना	187+6	–	100 %	–	25 % सीधी भर्ती प्राध्यापक 75 % पदोन्नत प्राध्यापक
4.	प्राध्यापक और उप संचालक, उच्च शिक्षा	592	100 %	–	–	
5.	पदोन्नत प्राध्यापक	संख्या निर्धारित नहीं	–	100 %		ये पद विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से भरे जायेंगे। पदोन्नत प्राध्यापकों के ऐसे पदों की कोई निर्धारित संख्या नहीं होगी और इन पदों की संख्या अपेक्षित ज्येष्ठता और अर्हता वाले सह– प्राध्यापकों की संख्या के आधार पर बदलती रहेगी। सह–प्राध्यापक की पदोन्नति अनुसूची चार में वर्णित उपबंधों के अधीन विहित सेवा कालावधि पूरी करने के पश्चात् तथा उसमें विहित अर्हताएं की शर्तें पूर्ण करने पर सेवा अभिलेख के अनुसार की जायेगी।

6.	सह–प्राध्यापक	संख्या निर्धारित नहीं	--	100 %	–	ये पद विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से भरे जायेगें। सह–प्राध्यापकों के ऐसे पदों की कोई निर्धारित संख्या नहीं होगी और इन पदों की संख्या अपेक्षित ज्येष्ठता और अर्हता वाले सहायक प्राध्यापकों की संख्या के आधार पर बदलती रहेगी। सहायक प्राध्यापक के पद से पदोन्नति अनुसूची चार में वर्णित उपबंधों के अधीन विहित सेवा कालावधि पूरी करने के पश्चात् तथा उसमें विहित अर्हताएं रखने पर सेवा रिकार्ड के आधार पर की जावेगी।
7.	सहायक प्राध्यापक	3855	100 %	--	–	प्रतियोगी परीक्षा द्वारा, इसमें सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जायेगा।
8.	क्रीड़ा अधिकारी	116	100 %	--	–	प्रतियोगी परीक्षा द्वारा, इसमें सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जायेगा।
9.	ग्रंथपाल	125	98 %	2%	–	(1) प्रतियोगी परीक्षा द्वारा, इसमें सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जायेगा। (2) केवल डाइंग केडर के सहायक ग्रंथपाल के लिये, इन अधिकारियों के पदोन्नति के पश्चात भविष्य में ये पद पदोन्नति से नहीं भरे जायेंगे।

टीपः– अनुक्रमांक 7, 8 एवं 9 में उल्लेखित पदों की 7000, 8000 एवं 9000 एकेडिमिक ग्रेड पे में स्थानत की प्रकिया, अनुसूची–चार में दी गई टिप्पणी के अनुसार होगी।

अनुसूची–तीन
(नियम 8 देखिये)

स.क्र.	सेवा/पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	उच्चतर आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	प्राध्यापक और उप संचालक, उच्च शिक्षा	31 वर्ष	45 वर्ष	(क) (एक) प्रतिष्ठित विद्वान जिसकी पी.एच.डी. में अर्हता अपने संबंधित/सम्बद्ध/सुसंगत विषय में प्राप्त है, जिनकी प्रकाशित रचना उच्च कोटि की हैं, जो कि वर्तमान में शोध कार्य में सक्रिय है तथा जिसके प्रकाशित ग्रंथ का साक्ष्य विद्यमान है तथा न्यूनतम रूप से उनकी कम से कम 10 रचनाएँ, पुस्तकों एवं/अथवा शोध/विषय से जुड़ी नीति विषयक प्रपत्र के रूप में प्रकाशित हो। (दो) किसी भी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में अध्यापन का दस वर्ष का न्यूनतम अनुभव हो, एवं/ अथवा विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में/ उद्योगों में अनुभव हो; जिसमें पीएच.डी. स्तर पर कर रहे शोध छात्रों को दिशानिर्देश करने का अनुभव भी सम्मिलित हो । (तीन) शैक्षणिक नवोन्मेष, नवीन पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम तथा प्रौद्योगिकी–माध्ययुक्त अध्यापन प्रशिक्षण प्रक्रिया में विस्तार। (चार) न्यूनतम समेकित एपीआई स्कोर, जैसा कि प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पीबीएएस) के आधार पर शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आई.) में निर्दिष्ट है, जिसे शासन द्वारा पृथक से अधिसूचना द्वारा जारी की जायेगी । अथवा ब. (ख) उत्कृष्ट व्यावसायिक व्यक्ति, जिसकी अपने सापेक्ष कार्य क्षेत्र में विद्यमान प्रतिष्ठा हो तथा जिसने संबंधित/सम्बद्ध/सुसंगत विषय के ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान किया हो तथा जिसका प्रमाणीकरण प्रत्यायकों द्वारा किया जाए।
2.	सहः प्राध्यापक	29 वर्ष	43 वर्ष	(एक) अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड के साथ संबंधित विषय में पी. एच.डी. की उपाधि। (दो) किसी भी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में अध्यापन का दस वर्ष का न्यूनतम अनुभव हो, एवं/ अथवा विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में/ उद्योगों में अनुभव हो; जिसमें पीएच.डी. स्तर पर कर रहे शोध छात्रों को दिशानिर्देश करने का अनुभव भी सम्मिलित हो। कम से कम पांच रचनायें, पुस्तकों एवं/अथवा शोध/विषय से जुड़ी नीति विषयक प्रपत्र के रूप में प्रकाशित हो । (तीन) शैक्षणिक नवोन्मेष, नवीन पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम तथा प्रौद्योगिकी–माध्ययुक्त अध्यापन एवं प्रशिक्षण प्रक्रिया में विस्तार।

				(चार) न्यूनतम समेकित एपीआई स्कोर, जैसा कि प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पीबीएएस) के आधार पर शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आई.) में निर्दिष्ट है, जिसे शासन द्वारा पृथक से अधिसूचना द्वारा जारी की जायेगी ।
3.	सहायक प्राध्यापक	21 वर्ष	30 वर्ष	(क) अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड के साथ किसी भारतीय विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि स्तर में संबंधित विषय में कम से कम 55% अंक (अथवा / एवं 7 बिन्दु ग्रेडिंग पद्धति में ग्रेड "बी") अथवा किसी मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि । (ख) उपरोक्त अर्हताओं की पूर्ति करने के बाद भी, अभ्यर्थी को यूजीसी, सीएसआईआर द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) अथवा यूजीसी द्वारा प्रत्यायित (मान्यता प्राप्त) समतुल्य परीक्षा जैसे कि स्लेट/सेट उत्तीर्ण करना होगा। (ग) उप-खण्ड (क) तथा (ख) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अभ्यर्थी, जिनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल / पीएच. डी. प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार पीएच.डी. उपाधि हो या जिन्हें प्रदान की गई हो, को सहायक प्राध्यापक या उसके समतुल्य पद में भर्ती तथा नियुक्ति के लिये नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट रहेगी । (घ) ऐसे विषयों में स्नातकोत्तर कार्यक्रम, जिसके लिये नेट/स्लेट /सेट परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है, के लिये नेट/स्लेट/सेट की अनिवार्यता नहीं होगी।
4.	क्रीड़ा अधिकारी	21 वर्ष	30 वर्ष	(क) कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा खेलकूद विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री (अथवा समतुल्य डिग्री अथवा यूजीसी 7 पाइंट स्केल में श्रेणी "बी") तथा अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड हो। (ख) अन्तर-विश्वविद्यालय/अन्तर-महाविद्यालयीन प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय और/ या राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य का प्रतिनिधित्व का रिकार्ड हो। (ग) राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा जो इस उद्देश्य से यू.जी. सी. द्वारा अथवा अन्य किसी अभिकरण द्वारा जो कि यू.जी.सी. द्वारा अनुमोदित हो, आयोजित की गई हो, में अर्ह हो। (घ) इन नियमों के अनुसार संचालित शारीरिक क्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हो ।
				(ङ.) तथापि, ऐसे अभ्यर्थी, जिनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. प्रदान करने केलिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार पीएच.डी. उपाधि हो या प्रदान की गई हो, को खेल अधिकारी या उसके समतुल्य पद में भर्ती तथा नियुक्ति के लिए नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता की शर्तों की अनिवार्यता से छूट रहेगी।

(च) शारीरिक दक्षता परीक्षा संबंधी मापदण्ड :–

(एक) उपरोक्त प्रावधानों के अध्यधीन, ऐसे समस्त अभ्यर्थी, जिनके लिये शारीरिक दक्षता परीक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य होता है, के द्वारा ऐसे परीक्षाओं में उपस्थित होने से पूर्व ऐसी चिकित्सीय प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा जिसमें सत्यापित होगा कि वह चिकित्सीय रूप से स्वस्थ है।

(दो) उपरोक्त उप–खण्ड (एक) के अंतर्गत ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, नीचे दिये गये मापदण्डों के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा शारीरिक सक्षमता परीक्षा देना होगा: –

पुरूषों के लिए मापदण्ड			
12 मिनट की दौड़/चाल की परीक्षा			
30 वर्ष तक	40 वर्ष तक	45 वर्ष तक	50 वर्ष तक
1600 मीटर	1500 मीटर	1200 मीटर	800 मीटर

महिलाओं के लिए मापदण्ड			
8 मिनट की दौड़/चाल की परीक्षा			
30 वर्ष तक	40 वर्ष तक	45 वर्ष तक	50 वर्ष तक
1000 मीटर	800 मीटर	600 मीटर	400 मीटर

टीप:– क्रीड़ा अधिकारी के पद के लिये–

(एक) लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में अर्ह अभ्यर्थियों के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षा, छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित/नामांकित विभाग या एजेन्सी द्वारा लिया जायेगा ।

(दो) शारीरिक दक्षता परीक्षा में अनर्ह अभ्यर्थी, चयन प्रक्रिया के लिये अपात्र होंगे ।

5.	ग्रंथपाल	21 वर्ष	30 वर्ष	(1) पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/ डाकुमेंटेशन विज्ञान में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि अथवा ऐसी समतुल्य व्यावसायिक उपाधि (अथवा जहां ग्रेडिंग पद्धति लागू है पाइन्ट स्केल में समतुल्य ग्रेड अथवा यूजीसी अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित समतुल्य व्यवसायिक उपाधि तथा पुस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण का ज्ञान एवं अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड हो । टीप – (1) अनूसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/ दिव्यांग (शारीरिक एवं दृष्टिबाधित दिव्यांग)/ अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों के लिये स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 5 प्रतिशत की छूट की प्रदान की जायेगी,. 55 या 50 प्रतिशत अंक को पूर्णांकित किया जाना स्वीकार्य नहीं होगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये कृपांक भी छूट हेतु स्वीकार्य नहीं किये जायेगें।

(2) यू.जी.सी. अथवा यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था (एजेंसी) द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा अथवा सेट/स्लेट परीक्षा पुस्तकालय विज्ञान में अर्ह हो।

(3) तथापि, ऐसे अभ्यर्थी, जिनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार पीएच.डी. उपाधि हो या प्रदान की गई हो, को ग्रंथपाल या उसके समतुल्य पद में भर्ती तथा नियुक्ति के लिए नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता की शर्तों की अनिवार्यता से छूट रहेगी।

टीप– सहायक प्राध्यापक/क्रीड़ाधिकारी/ग्रंथपाल के लिये :–

(1) वे अभ्यर्थी, जो दिनांक 11 जुलाई, 2009 के पूर्व सहायक प्राध्यापक/क्रीड़ाधिकारी/ ग्रंथपाल पद के लिये एम.फिल./पीएच.डी. हेतु पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत है, उपाधि प्रदान करने वाले संबंधित संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश/उपविधि/विनियमों द्वारा शासित होंगे। पीएच.डी. उपाधि धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन न्यूनतम पात्रता शर्तों से छूट प्राप्त होगी :

(क) अभ्यर्थी को केवल नियमित पद्धति से पीएच.डी. उपाधि प्रदान की गई हो;

(ख) कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो;

(ग) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किए हों (जिसमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ हो);

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. शोध कार्य में से दो पेपर संगोष्ठियों/ सम्मेलनों में प्रस्तुत किए हों;

(ङ) अभ्यर्थी का मौखिक साक्षात्कार संचालित किया गया हो ।

उपर्युक्त (क) से (ङ) को कुलपति/ प्रति–कुलपति/ संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/ संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

(2) अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड से अभिप्रेत है: –

(एक) स्नातक (अन्डर ग्रेजुएट)– न्यूनतम 50%

(3) यू.जी.सी. की परिवर्तन तालिका के अनुसार, प्रतिशत अंकों को निम्नानुसार परिवर्तित किया जायेगा:–

श्रेणी	श्रेणी बिन्दु (पाईंट)	समतुल्य प्रतिशत
'O'	5.50 - 6.00	75 - 100
'A'	4.50 - 5.49	65 - 74
'B'	3.50 - 4.49	55 - 64
'C'	2.50 - 3.49	45 - 54
'D'	1.50 - 2.49	35 - 44
'E'	0.50 - 1.49	25 - 34
'F'	0.00 - 0.49	00 - 24

				(4) (एक) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांगजन तथा दृष्टिहीन व्यक्ति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर–क्रीमी–लेयर) के संवर्ग के व्यक्तियों की, शिक्षण संबंधी पदों पर सीधी भर्ती के दौरान उनके पात्रता एवं अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के निर्धारण के उद्देश्य से स्नातक स्तर पर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 5% की छूट प्रदान की जा सकेगी । पात्रता के लिए 55% अंक (अथवा जहां कहीं ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है, वहां पर "पाइंट स्केल" की समकक्ष श्रेणी) तथा उपरोक्त उल्लिखित संवर्गों के लिये 5% की छूट, किसी अनुग्रह अंक के सम्मिलित करने की प्रक्रिया के बिना, केवल अर्हकारी अंकों पर आधारित रहेगी । (दो) ऐसे पीएच.डी. उपाधि धारक, जिन्होंने अपनी स्नातकोत्तर डिग्री 19 सितम्बर 1991 से पूर्व ही प्राप्त कर ली हो, के अंकों में 5% की छूट प्रदान की जायेगी जो कि 55% से 50% तक होगी। (तीन) जहां पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो, वहां संबंधित श्रेणी, जो 55% के यथा समतुल्य मानी गई हो, पात्रता समझी जायेगी।

टिप्पणी :–

(1) सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के पश्चात् "अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष" के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ 3–2/2002/1–3, रायपुर दिनांक 16.09.2008 के निर्बंधन, प्राध्यापकों एवं सह प्राध्यपकों के पद पर सीधी भर्ती के लिए लागू नहीं होंगे।

(2) अनुसूची–तीन के कॉलम (5) के अंतर्गत प्राध्यापक/उप संचालक एवं सह प्राध्यापक, उच्च शिक्षा के पदों के लिए उच्चतर आयु सीमा निम्नानुसार होगी :–

स.क्र.	प्रवर्ग	उच्चतर आयु सीमा	
		प्राध्यापक	सह प्राध्यापक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पुरूष (अनारक्षित)	45 वर्ष	43 वर्ष
2.	पुरूष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग)	50 वर्ष	48 वर्ष
3.	महिला (अनारक्षित)	55 वर्ष	53 वर्ष
4.	महिला (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग)	60 वर्ष	58 वर्ष
5.	विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा (आरक्षित/अनारक्षित प्रवर्ग)	60 वर्ष	58 वर्ष

(3) प्राध्यापकों एवं सह प्राध्यापकों के पद पर सीधी भर्ती के लिए, इन नियमों में विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रकार की छूटों का लाभ लेने के पश्चात् उच्चतर आयु सीमा क्रमशः 60 वर्ष एवं 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(4) ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी है के लिए, उच्चतर आयु सीमा, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी ।

अनुसूची–चार

(नियम 14 एवं 15 देखिये)

स.क्र.	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए सेवा अनुभव की न्यूनतम अवधि	चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	प्राचार्य उपाधि महाविद्यालय, संयुक्त संचालक तथा राज्य संपर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना	प्राचार्य, स्नातकोत्तर महाविद्यालय तथा अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा	स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर पदोन्नति, स्नातक महाविद्यालय के प्राचार्यों में से उन प्राचार्यों की, उपाधि महाविद्यालय संवर्ग की संयुक्त ज्येष्ठता सूची के आधार पर की जायेगी, जिन्हें प्राचार्य के पद का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो। पदोन्नति, योग्यता–सह–ज्येष्ठता के आधार पर होगी। परन्तु अनुभव की शर्त उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी जिनके नाम पर ज्येष्ठता होते हुए भी पूर्वतर पदोन्नतियों के समय विचार नहीं हो सका।	(1) लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई सदस्य –अध्यक्ष (2) प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा –सदस्य (3) आयुक्त, उच्च शिक्षा–सदस्य	
2.	प्राध्यापक/पदोन्नत प्राध्यापक तथा उप संचालक, उच्च शिक्षा	प्राचार्य स्नातक महाविद्यालय, संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा तथा राज्य संपर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना	स्नातक महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर पदोन्नति, कम से कम दो वर्ष का अनुभव रखने वाले प्राध्यापकों में से योग्यता–सह–ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी। विभागीय पदोन्नति समिति, प्राचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए सीधी भर्ती के प्राध्यापकों तथा पदोन्नत हुए प्राध्यापकों की ज्येष्ठता सूचियां अलग–अलग तैयार करेगी। इन सूचियों में से प्राचार्य के पद पर सीधी भर्ती के प्राध्यापकों का 25 प्रतिशत एवं पदोन्नत प्राध्यापकों का 75 प्रतिशत होगा। पदोन्नत प्राध्यापकों की ज्येष्ठता सूची उनके सहायक प्राध्यापक के पद पर वरिष्ठता के आधार पर बनाई जायेगी। सीधी भर्ती के प्राध्यापकों की ज्येष्ठता सूची लोक सेवा आयोग से जारी चयन सूची में दर्शाये गये ज्येष्ठता क्रम के आधार पर होगी ।	तदैव	
3.	सह–प्राध्यापक	पदोन्नत प्राध्यापक/उप संचालक	उन सह–प्राध्यापक को, 37,400–67,000 + ए.जी.पी. 10,000 के वेतनमान वाले प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति की पात्रता होगी, जिन्होंने :–	तदैव	

			(क) सह प्राध्यापक के रुप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। (ख) न्यूनतम समेकित ए.पी.आई. स्कोर जैसा कि प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी.बी.ए.एस.) के आधार पर शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आई.) में निर्दिष्ट है, जिसे कि शासन द्वारा पृथक से अधिसूचना द्वारा जारी की जायेगी। (ग) कार्य निष्पादन संबंधी विगत 05 वर्षों का मूल्यांकन रिपार्ट निरंतर बहुत अच्छी हो।		
4.	सहायक प्राध्यापक	सह–प्राध्यापक	उन सहायक प्राध्यापक को, 37,400–67,000 + ए.जी.पी. 9,000 के वेतनमान वाले सह प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति की पात्रता होगी, जिन्होंने:– (क) सहायक प्राध्यापक के रुप में 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। (ख) वेतनमान 37,400–67,000 + ए.जी.पी. 9,000 के वेतनमान में कम से कम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। (ग) न्यूनतम समेकित ए.पी.आई. स्कोर जैसा कि प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी.बी.ए.एस.) के आधार पर शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आई.) में निर्दिष्ट हैं, जिसे कि शासन द्वारा पृथक से अधिसूचना द्वारा जारी की जायेगी। (घ) कार्य निष्पादन संबंधी विगत 05 वर्षों का मूल्यांकन रिपार्ट निरंतर बहुत अच्छी हो।	तदैव	अनुभव एवं योग्यता, जो कि अनुसूची–चार के कॉलम (4) में उल्लेखित है, के आधार पर, सहायक प्राध्यापक की पदोन्नति सह–प्राध्यापक के पद में की जायेगी।

टिप्पणी :–

(1) सहायक ग्रंथपाल के पद, डाइंग काडर के है तथा ये पद समाप्त होने वाले पद है। अतः उपर्युक्तानुसार, इन पदों पर कार्यरत व्यक्तियों की पदोन्नति के पश्चात्, भविष्य में ग्रंथपाल के पद पर पदोन्नतियां नहीं होंगी।

(2) सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी तथा ग्रंथपाल को ज्येष्ठ वेतनमान तथा प्रवरश्रेणी वेतनमान प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित अर्हताएं पूर्ण करनी होगी :–

(क) ज्येष्ठ वेतनमान हेतु– सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी को, 15600–39100 के वेतनमान में ग्रेड वेतन 7000 के ज्येष्ठ वेतनमान में पदांकन किया जायेगा, यदि उसने :–

(एक) नियमित नियुक्ति के पश्चात् 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। यदि वह पी.एचडी अथवा एम.फिल धारक हो तो सेवा काल क्रमशः 4 एवं 5 वर्ष पूर्ण कर ली हो;

(दो) यदि वे पीएचडी धारक है तो एक ओरिएन्टेशन एवं अन्य के लिये एक ओरिएन्टेशन एवं एक रिफ्रेशर कार्स जो गुणवत्ता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्दिष्ट मापदण्डों के समरूप हो,

(तीन) उसकी कार्य निष्पादन संबंधी मूल्यांकन रिपोर्ट निरंतर संतोषजनक हो।

(ख) प्रवर श्रेणी वेतनमान हेतु– ज्येष्ठ वेतनमान में कार्यरत सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी, प्रवरश्रेणी के वेतनमान में रखे जाने हेतु पात्र होंगे, यदि उसने :–

(एक) ज्येष्ठ वेतनमान में 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली हो, सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी के रुप में कम से कम 11 वर्ष, पी.एचडी एवं एम.फिल धारक के लिये क्रमशः 9/10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो;

(दो) ज्येष्ठ वेतनमान में पदांकन के उपरांत दो रिफ्रेशर पाठ्यक्रम/ग्रीष्मकालीन संस्थाओं में जो प्रत्येक लगभग 4 सप्ताह की अवधि का हो, भाग लिया हो या वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप समुचित अवतरण शिक्षण कार्यक्रमों से जुड़ा रहा हो; और

(तीन) उसकी कार्य निष्पादन संबंधी मूल्यांकन निरंतर अच्छी हो।

(3) ज्येष्ठ वेतनमान तथा प्रवरश्रेणी वेतनमान में पदांकन के लिये छानबीन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(एक) आयुक्त, उच्च शिक्षा या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई भी अतिरिक्त संचालक	–	संयोजक
(दो) उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग	–	सदस्य
(तीन) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का प्राचार्य (आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा नाम निर्दिष्ट)	–	सदस्य
(चार) उच्च शिक्षा से संबंधित एक शिक्षाविद	–	सदस्य

छानबीन समिति, सूची में रखे जाने की उपयुक्तता अवधारित करने हेतु समय–समय पर शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार छानबीन का कार्य संपादित करेगी।

नोट :– ज्येष्ठ एवं प्रवर श्रेणी वेतनमान हेतु यू.जी.सी. एवं शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

38 छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965

संविधान के अनुच्छेद के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 21 जुलाई, 1965 क्रमांक 1531-3015/एक (तीन) 64 को राज्यपाल (मध्यप्रदेश) निम्न नियम बनाते हैं :-

1. नाम.- मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 कहलायेगा।

नोट I - छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन क्र. 77/4785/2001/1/3 दिनांक 27-8-2001 के अनुसार मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :-

आदेश

(1) (एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2001 है।

(दो) यह 1 नवंबर, 2000 से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा।

(2) समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थीं, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगी जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जायें। उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द 'मध्यप्रदेश' जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर शब्द 'छत्तीसगढ़' स्थापित किए जाएं।

(3) अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्यवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, प्ररूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी।

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधियों के नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966
2.	मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965

नोट II - छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन क्र. 308/4785/2001/1/3 दिनांक 9 अगस्त 2002 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का अनुकूलन राज्य द्वारा रूपान्तर द्वारा कर लिया गया है।

2. सामान्य - (1) प्रत्येक शासकीय कर्मचारी सदैव ही -

(i) पूर्ण रूप से सत्यनिष्ठ रहेगा;

(ii) कर्तव्य परायण रहेगा; और

(iii) ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जो कि उसके लिए अशोभनीय हो।

(2) (i) पर्यवेक्षण पद धारण करने वाले प्रत्येक शासकीय कर्मचारी ऐसे समस्त शासकीय कर्मचारियों की, जो कि तत्समय उसके नियंत्रण तथा प्राधिकार के अधीन हों, सत्यनिष्ठा तथा कर्तव्य परायणता को सुनिश्चित करने हेतु समस्त संभव उपाय करेगा।

(ii) कोई भी शासकीय कर्मचारी अपने पदीय कर्तव्यों के पालन में उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में, उस अवस्था को छोड़कर जबकि वह अपने पदीय वरिष्ठ के निर्देश के अधीन कार्य कर रहा हो अपने सर्वोत्तम विवेकानुसार न करके अन्यथा कार्य नहीं करेगा, और जहां वह ऐसे निर्देशों के अधीन कार्य कर रहा हो, ऐसे निर्देश जहां तक व्यवहार्य हो लिखित में प्राप्त करेगा; और जहां निर्देश लिखित में प्राप्त करना व्यवहार्य नहीं हो, वहां वह उस निर्देश के दिए जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र उस निर्देश का लिखित पुष्टीकरण प्राप्त करेगा।

3. शासकीय संरक्षण प्राप्त निजी उपक्रमों में शासकीय सेवकों के निकट संबंधी का नौकरी में रखा जाना - कोई भी शासकीय सेवक अपने कुटुम्ब के किसी भी सदस्य को किसी निजी उपक्रम में रोजगार (नौकरी) सुनिश्चित करने हेतु अपने पदीय संव्यवहार/स्थिति का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग नहीं करेगा।

4. राजनीति तथा निर्वाचनों में भाग न लेना - (1) कोई भी शासकीय कर्मचारी किसी राजनैतिक दल या किसी संगठन का जो राजनीति में भाग लेता हो, न तो सदस्य होगा, न उससे अन्यथा संबंध रखेगा और न वह किसी राजनैतिक आंदोलन या कार्यकलाप में भाग लेगा, न उसकी सहायतार्थ चंदा और किसी अन्य प्रकार से उसकी सहायता करेगा।

(2) प्रत्येक शासकीय कर्मचारी का कर्तव्य है कि वह अपने परिवार के किसी भी सदस्य को किसी ऐसे आंदोलन या कार्यकलाप में जो विधिसंगत स्थापित शासन के लिए विध्वंसकारी हो या जिसका आशय प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विध्वंसकारी होने का हो, भाग लेने, सहायता के लिए चंदा देने का, या किसी अन्य रीति से उसकी सहायता करने से रोकने का प्रयत्न करे और जहां शासकीय कर्मचारी अपने परिवार के किसी सदस्य के ऐसे आंदोलन या कार्यकलाप

में भाग लेने या उसकी सहायतार्थ चंदा देने या किसी अन्य प्रकार से उसकी सहायता करने से रोकने में असमर्थ हो, वह शासन को इस बारे में सूचित करेगा।

(3) कोई भी शासकीय कर्मचारी किसी विधायिका या स्थानीय संस्था के निर्वाचन में न तो चुनाव प्रचार करेगा न किसी अन्य प्रकार से हस्तक्षेप करेगा एवं न ही इस संबंध में अपने प्रभाव का उपयोग करेगा तथा न ही उसमें भाग लेगा।

5. प्रदर्शन तथा हड़ताल – (1) कोई भी शासकीय कर्मचारी स्वयं को किसी भी ऐसे प्रदर्शन में नहीं लगायेगा या उसमें भाग नहीं लेगा जो कि भारत की प्रभुसत्ता तथा अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो, या जिसमें न्यायालय का अपमान, मानहानि या किसी अपराध का उद्दीपन किया जाना अंतग्रस्त हो; या

(2) अपनी सेवा या किसी शासकीय सेवक की सेवा से संबंधित किसी मामले के संबंध में न तो किसी तरह की हड़ताल का सहारा लेगा और न किसी भी प्रकार से उसे अभिप्रेरित करेगा।

शासकीय कर्मचारियों द्वारा आयोजित हड़तालों, धरना तथा सामूहिक अवकाश आदि के अवसरों पर कार्यालय से अनुपस्थिति की अवधि के संबंध में :-

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 6 तथा नियम 7 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदर्शन तथा हड़तालें और "स्वीकृत होने के पूर्व अवकाश पर प्रस्थान" शासकीय सेवकों के लिये प्रतिबंधित है। इसके संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं। परन्तु यह देखने में आया है कि उक्त प्रकार के प्रतिबंधित कृत्य किये जाने पर संबंधित शासकीय कर्मचारियों पर अपेक्षित कार्यवाही नहीं की जा रही है।

2. अतः प्रशासन में अनुशासनबद्धता की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा पुनः निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं :-

(अ) शासकीय सेवकों के उपर्युक्त प्रकार के कृत्य, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अनुसार कदाचरण (MISCONDUCT) की श्रेणी में आते हैं। यह बात सर्व संबंधितों को अवगत कराई जाए और यह स्पष्ट किया जाए कि उनके द्वारा ऐसे कृत्य किए जाने पर वे अनुशासनात्मक कार्यवाई के भागी होंगे।

(1) बिना पूर्व स्वीकृति के सामूहिक अवकाश पर जाने की दशा में अथवा हड़ताल में भाग लेने की दशा में ऐसी अनाधिकृत, अनुपस्थिति के दिवसों तथा हड़ताल का वेतन इत्यादि देय नहीं होगा, न ही इस प्रकार की अनुपस्थिति के दिवसों का अवकाश स्वीकृत किया जावेगा। ऐसे दिवसों की अवधि का कोई वेतन इत्यादि देय नहीं होगा और इस अवधि को "ब्रेक-इन-सर्विस" माना जाएगा।

(2) उपरोक्त के अतिरिक्त जब कभी शासकीय सेवकों द्वारा उक्त प्रकार के कृत्य किये जाएं तो ऐसे घोर अनुशासनहीनता करने वालों के विरूद्ध गुण-दोषों के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के आदेश सक्षम अधिकारी दे सकेंगे।

(ब) पैरा-2(अ) में बतायी गयी सामान्य नीति में यदि कुछ अन्य रियायतें देने हों, जिनके लिए कि किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण औचित्यपूर्ण आधार विद्यमान हो तो ऐसी रियायतें देने के प्रस्ताव अभिलिखित रूप से, कारण दर्शाते हुए विभागाध्यक्षों द्वारा शासन के विचार हेतु भेजे जाएं।

3. उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

[म.प्र.वि. (शास. कर्म. कल्याण शाखा) क्र. एफ 2-3/1-9/2006, दिनांक 10-04-2016]

6. प्रशासनिक कार्यवाही हेतु मार्गदर्शी निर्देश – शासकीय कर्मचारियों द्वारा आयोजित हड़तालों, धरना तथा सामूहिक अवकाश या स्वीकृत होने के पूर्व अवकाश पर प्रस्थान, छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अनुसार कदाचरण की श्रेणी में आते हैं। उनके द्वारा ऐसे कृत्य किये जाने पर वे अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी होंगे -

(क) बिना पूर्व स्वीकृति के सामूहिक अवकाश पर जाने अथवा हड़ताल में भाग लेने की दशा में ऐसी अनाधिकृत उपस्थिति के दिवसों तथा हड़ताल का वेतन देय नहीं होगा तथा ऐसे अनुपस्थिति के दिवसों का अवकाश स्वीकृत नहीं होगा। ऐसे दिनों का वेतन देय न होने से ब्रेक-इन-सर्विस माना जावेगा।

(ख) जब कभी शासकीय सेवकों द्वारा उपरोक्त प्रकार के कृत्य किये जावें तो घोर अनुशासनहीनता करने वालों के विरुद्ध गुण-दोषों के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के आदेश सक्षम प्राधिकारी दे सकेंगे।

(ग) अनुशासनहीनता के संबंध में की गई कार्यवाही को समाप्त करने का अधिकार विभागाध्यक्ष को होगा।

(घ) उपरोक्त वर्णित अवधि को ब्रेक-इन-सर्विस न मानने व अवैतनिक/असाधारण अवकाश स्वीकृत करने का यदि निर्णय लिया जाता हो तो ऐसा निर्णय संबंधित विभाग के मंत्री की पूर्व अनुमति के आधार पर ही लिया जा सकेगा।

(ङ) उपरोक्त निर्धारित नीति में यदि अन्य किसी प्रकार की ढील या छूट देना अभीष्ट हो तो वह मंत्री जी की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही संबंधित विभाग द्वारा दी जा सकेगी अन्यथा नहीं।

[सा.प्र.वि.क्र. सी-9-2/90/3/1 दिनांक 2-2-91]

(5) बिना स्वीकृति अवकाश पर प्रस्थान – कोई भी शासकीय सेवक अवकाश (आकस्मिक सहित) पर उसके स्वीकृत हो जाने के पूर्व प्रस्थान नहीं करेगा। परंतु आपातकालीन दशा में अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी, उन कारणों से, जो लेखाबद्ध किये जावें, पहले ही लाभ उठाये गये अवकाश की भूत प्रभावी स्वीकृति दे सकेगा।

7. संस्थानों/संघों में सम्मिलित होना – कोई भी शासकीय सेवक किसी ऐसे संघ में न तो सम्मिलित होगा और न उसका सदस्य रहेगा जिसके कि उद्देश्य तथा कार्यकलाप भारत की प्रभुसत्ता तथा अखण्डता या सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले हों।

8. समाचार-पत्रों या आकाशवाणी या किसी अन्य मीडिया से संबंध – (1) कोई भी शासकीय सेवक शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी समाचार-पत्र या अन्य नियत कालीन प्रकाशन का पूर्णतः या अंशतः न तो स्वामित्व रखेगा और न उसका संचालन करेगा और न उसके सम्पादन अथवा प्रबंध में भाग लेगा।

(2) कोई भी शासकीय सेवक शासन या विहित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना, या अपने कर्तव्यों का सद्भावनापूर्वक निर्वहन करने की स्थिति को छोड़कर न तो किसी रेडियो प्रसारण में भाग लेगा और न किसी समाचार-पत्र या नियतकालिक पत्रिका में अपने स्वयं के नाम से या गुमनाम तौर पर कल्पित नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से कोई लेख देगा या कोई पत्र लिखेगा:

परंतु ऐसी कोई स्वीकृति अपेक्षित नहीं होगी यदि ऐसा प्रसारण या ऐसा लेख विशुद्ध साहित्यक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकृति का हो।

9. शासन की आलोचना – कोई भी शासकीय सेवक किसी रेडियो प्रसारण में अपने स्वयं के नाम से या गुमनाम तौर पर कल्पित नाम से या किसी दस्तावेज में या समाचार-पत्र को दी गई किसी संसूचना में या सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त किसी उद्गार में कोई ऐसा तथ्य या राय प्रकट नहीं करेगा।

10. समिति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष साक्ष्य – शासकीय सेवक, शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी व्यक्ति, समिति या प्राधिकारी द्वारा की गई किसी जांच के संबंध में साक्ष्य नहीं देगा।

11. अप्राधिकृत जानकारी देना – कोई भी शासकीय सेवक, शासन के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसरण में कार्य करने की अवस्था या उसे सौंपे गये कर्तव्यों की सद्भावना से पालन करने की स्थिति को छोड़कर, किसी भी शासकीय सेवक या किसी अन्य व्यक्ति को, जिसको कि ऐसे दस्तावेज या जानकारी देने के लिए वह प्राधिकृत न हो, कोई शासकीय दस्तावेज या उसका कोई भाग या जानकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं देगा।

12. चन्दा – कोई भी शासकीय सेवक शासन की या विहित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी प्रकार के उद्देश्य के अनुसरण में किन्हीं निधियों के लिए नगदी में या वस्तु के रूप में, अन्य संग्रहणों के लिए न तो अंशदान मांगेगा, न अंशदान स्वीकार करेगा और न उसके इकट्ठा किये जाने में स्वयं को अन्यथा सम्बद्ध करेगा।

13. उपहार स्वीकार न करना – (1) आचरण नियमों में उपबंधित व्यवस्था को छोड़कर कोई भी शासकीय सेवक कोई उपहार न तो स्वीकार करेगा और न उसे स्वीकार करने के लिए अपने परिवार के किसी सदस्य को अनुज्ञा देगा।

(2) विवाह, वर्ष दिन, अंत्येष्टि या धार्मिक कृत्यों पर जबकि उपहार का दिया जाना प्रचलित धार्मिक या सामाजिक प्रथा के अनुरुप हो, शासकीय सेवक अपने निकट संबंधियों से उपहार स्वीकार कर सकेगा किन्तु वह शासन को उपहार की रिपोर्ट उपहार के प्राप्त होने की तिथि के एक माह के अंदर करेगा, यदि किसी ऐसे उपहार का मूल्य निम्नलिखित से अधिक हो-

(i) प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के अधिकारी के मामले में 1500 रु.,

(ii) तृतीय श्रेणी के शासकीय सेवक के मामले में 700 रु., और

(iii) चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवक के मामले में 250 रु.।

(3) ऐसे अवसरों पर जो उपरोक्त 2 में उल्लेखित किये गये हैं, शासकीय सेवक अपने निकट मित्रों से, जिनका कि उसके साथ कोई पदीय संव्यवहार न हो, उपहार स्वीकार कर सकेगा, किन्तु शासन को उपहार की रिपोर्ट उपहार प्राप्त होने की तिथि के एक माह के अंदर करेगा, यदि किसी ऐसे उपहार का मूल्य निम्नलिखित से अधिक हो –

(i) प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के अधिकारी के मामले में 500 रु.,

(ii) तृतीय श्रेणी के शासकीय सेवक के मामले में 200 रु., और

(iii) चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवक के मामले में 100 रु.।

(4) किसी भी अन्य मामले में शासकीय सेवक, शासन की स्वीकृति के बिना कोई उपहार स्वीकार नहीं करेगा, अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य को प्रतिग्रहित करने की अनुज्ञा देगा, यदि उसका मूल्य –

(i) प्रथम या द्वितीय श्रेणी के अधिकारी के मामले में 200 रु., और

(ii) तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवक के मामले में 50 रु. से अधिक हो।

(5) कोई भी शासकीय सेवक रुपये 2000/- से अधिक की राशि उपहार के रुप में अकाउन्ट पेयी (Account Payee) चैक के माध्यम से ही प्राप्त कर सकेगा, नगदी में नहीं।

14. दहेज की मांग – कोई भी शासकीय कर्मचारी –

(i) दहेज न तो देगा या न लेगा अथवा उसके देने या लेने के लिए प्रेरित नहीं करेगा,

(ii) यथास्थिति वधु या वर के माता-पिता या संरक्षक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से कोई दहेज की मांग नहीं करेगा।

15. शासकीय कर्मचारियों के सम्मान – कोई भी शासकीय सेवक शासन की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार या कोई भी अभिनंदन पत्र विदाई मानपत्र ग्रहण नही करेगा, न कोई प्रशंसा पत्र ग्रहण करेगा और न वह अपने सम्मान में व किसी अन्य शासकीय सेवक के सम्मान सभा में या समारोह में उपस्थित रहेगा।

16. निजी कारोबार या नौकरी – (1) कोई शासकीय सेवक शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई व्यापार या कारोबार नहीं करेगा या कोई भी अन्य रोजगार नहीं करेगा।

परंतु कोई भी शासकीय सेवक छ.ग. कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 1960 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पंजीकृत किसी ऐसी सहकारी संस्था के जो कि मुख्यतः शासकीय सेवकों के लाभ के लिए हो, या छ.ग. सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 या प्रवृत्त किसी तत्स्थानीय विधि के अधीन पंजीकृत किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक या धर्मार्थ संस्था के पंजीकरण, प्रवर्तन या प्रबंध में भाग ले सकेगा।

टीप – कुछ शासकीय सेवक अपनी पत्नी या अपने पुत्र/पुत्री के नाम से स्वयं व्यापार व व्यवसाय जिसमें बीमा एजेंसी भी शामिल है, करते हैं। यह कृत्य आपत्तिजनक है। उपरोक्तानुसार नियमों का उल्लंघन करने वाले शासकीय सेवकों के विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत दण्ड देने की कार्यवाही की जाये।

[सा.प्र.वि.सी. 5-5/92/3 दिनांक 20-8-92]

17. विनिधान, उधार देना तथा लेना – (1) कोई भी शासकीय सेवक किसी स्टॉक, अंश या विनिधान में सट्टा नहीं लगायेगा।

(2) कोई भी शासकीय सेवक न ही ऐसा कोई विनिधान करेगा और न अपने परिवार के किसी सदस्य को या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को उसकी अनुज्ञा देगा जिससे कि यह संभावना हो कि वह उसके शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में उसे उत्प्रेरन में डाल देगा या प्रभावित कर देगा।

(3) कोई भी शासकीय सेवक पेयी एकाउण्ट चैक के माध्यम के सिवाय रुपये 2,000 से अधिक की धनराशि उधार नहीं लेगा।

18. ऋण शोधक्षमता तथा स्वभावतः ऋणग्रस्तता – शासकीय सेवक अपने निजी कार्यों का इस प्रकार प्रबंध करेगा कि स्वभावतः ऋणग्रस्तता या ऋण शोधक्षमता टल सके। ऐसा शासकीय सेवक, जिसके विरुद्ध उसके द्वारा शोध्य किसी ऋण की वसूली के लिए या उसे ऋण शोधक्षमता न्यायनिर्णीत करने के लिए कोई विधि या कार्यवाही प्रारंभ हो जाये, विधि या कार्यवाही के पूर्ण तथ्यों की रिपोर्ट तुरंत ही शासन को करेगा।

19. चल, अचल तथा मूल्यवान संपत्ति – प्रत्येक शासकीय सेवक, को प्रथम नियुक्ति के समय तथा उसके पश्चात् शासन द्वारा निर्धारित ऐसे अंतरालों पर अपनी आस्तियों तथा दायित्वों की विवरणी, पूर्ण विशिष्टया देते हुए, ऐसे फार्म में जो कि शासन द्वारा विहित किया जाए, प्रस्तुत करेगा।

शासन या सक्षम प्राधिकारी किसी भी समय किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा शासकीय कर्मचारी से उसके द्वारा अर्जित व रक्षित अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा

विहित 'चल-अचल' संपत्ति का पूर्ण विवरण आदेश में वर्णित तिथि तक प्रस्तुत करने को कह सकता है। ऐसे विवरण पत्रकों में यदि शासन या सक्षम प्राधिकारी द्वारा चाहा जावे तो उन स्रोतों व साधनों का विवरण भी देना होगा जिनके माध्यम से संपत्ति प्राप्त की गई है।

20. शासकीय सेवकों के कार्यों तथा चरित्र का निर्दोष सिद्ध किया जाना – (1) कोई भी शासकीय सेवक शासन की पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी ऐसे शासकीय कार्य को, जो प्रतिकूल आलोचना या मान हानिकारक आक्षेप का विषय बन गया हो, निर्दोष सिद्ध करने के लिए किसी न्यायालय या समाचार-पत्र का सहारा नहीं लेगा।

(2) इस नियम की कोई भी बात किसी शासकीय सेवक या उसके निजी चरित्र या अपनी निजी हैसियत में उसके द्वारा किये गये किसी कार्य को निर्दोष सिद्ध करने से प्रतिषिद्ध करती हुई नहीं समझी जायेगी और जहाँ उनके निजी चरित्र या अपनी निजी हैसियत में उसके द्वारा किये गये किसी कार्य को निर्दोष सिद्ध करने के लिए कार्यवाही की गई हो, वहाँ शासकीय सेवक ऐसी कार्यवाही के बारे में विहित प्राधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

21. अशासकीय व्यक्ति का प्रचार या अन्य प्रभाव डालना – कोई शासकीय सेवक शासन के अधीन सेवा से संबंधित मामलों के विषय में अपने हितों की वृद्धि के लिए किसी वरिष्ठ अधिकारी पर कोई राजनैतिक या अन्य प्रभाव न तो डालेगा और न डलवाने का प्रयत्न करेगा।

22. द्वि-विवाह – (1) कोई शासकीय सेवक जिसकी की पत्नी जीवित हो, शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना दूसरा विवाह नहीं करेगा, भले ही ऐसा पश्चात्वर्ती विवाह उसमय उसको लागू होने वाली वैयक्तिक विधि के अधीन अनुज्ञेय हो।

(2) कोई भी स्त्री शासकीय सेविकाऐसे किसी व्यक्ति से जिसकी कि पत्नी जीवित हो, शासन की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना विवाह नहीं करेगी।

(3) कोई भी शासकीय सेवक ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा जो कि महिला शासकीय सेवक के यौन उत्पीड़न की कोटि में आता हो। यौन उत्पीड़न में निम्नलिखित अशिष्ट, कामुक क्रियाकलाप सम्मिलित है :–

(क) शारीरिक सम्पर्क तथा कामासक्त व्यवहार,
(ख) यौन सहमति की मांग या निवेदन,
(ग) कामासक्त फब्ती,
(घ) अश्लील साहित्य दिखाना,
(ङ) कामासक्त प्रकृति का कोई भी अन्य अशिष्ट, शारीरिक, शाब्दिक या सांकेतिक आचरण।

(4) प्रत्येक शासकीय सेवक भारत सरकार तथा राज्य सरकार के परिवार कल्याण से संबंधित नीतियों का पालन करेगा।

23. मादक पेयों तथा औषधियों का उपयोग – शासकीय सेवक -

(क) मादक पेयों या औषधियों संबंधी किसी विधि का, जो किसी ऐसे क्षेत्र में प्रवृत्त हो जिसमें कि वह तत्समय हो, सम्यक्रूपेण पालन करेगा;

(ख) अपने कर्तव्यों का पालन करते समय कोई मादक पेय या औषधि नहीं पियेगा, न ही उसके प्रभाव में रहेगा;

(ग) किसी सार्वजनिक स्थान में नशे की हालत में उपस्थित नहीं होगा;

(घ) किसी मादक पेय या औषधि का अभ्यासतः अति उपयोग नहीं करेगा।

इस नियम के प्रयोजनों के लिए 'सार्वजनिक स्थान' से अभिप्रेत है ऐसा कोई स्थान या परिसर (जिसमें कोई वाहन सम्मिलित है) जिसमें जनता का संदाय करके या अन्यथा प्रवेश है, या प्रवेश के लिए अनुज्ञात है।

"शासन का ध्यान कुछ ऐसे मामलों की ओर दिलाया गया है जहाँ उपर्युक्त नियमों का उल्लंघन हुआ है। अतः उक्त उपबंधों के अनुसरण में दुहराया जाता है कि -

(1) प्रत्येक शासकीय सेवक मादक पेयों या औषधियों के सेवन संबंधी आचरण नियमों के उपबंधों का ईमानदारी से पालन करे;

(2) अनुशासनिक प्राधिकारी आचरण नियमों के उपर्युक्त उपबंधों में शामिल मामलों के संबंध में सरकारी सेवकों के आचरण पर कड़ी निगाह रखे; और

(3) अनुशासनिक प्राधिकारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1965 के नियम 23 के किसी उल्लंघन को बहुत ही गंभीरता से ले और उक्त नियम का उल्लंघन करने में दोषी पाये गये सरकारी सेवक पर कठोरतम दण्ड लगाने से न हिचकिचाएँ।

शासन के समस्त विभागों से निवेदन है कि वे उपर्युक्त अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए उनकी जानकारी अपने नियंत्रणाधीन सभी अनुशासनिक प्राधिकारियों एवं शासकीय सेवकों को दें।"

[सा.प्र.वि. क्र. एफ. सी-5/2/84/3/1, भोपाल, दिनांक 16-5-1984]

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-23 में निहित प्रावधान के पालन में संलग्न घोषणा-पत्र की पूर्ति कर तत्काल प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

घोषणा-पत्र

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं, सार्वजनिक रूप से एवं अपने पद के कर्तव्यों के निर्वहन की अवधि में मद्यपान नहीं करूंगा/करूंगी।

हस्ताक्षर ....

स्थान : .... नाम ....

दिनांक : .... पदनाम ....

विभाग....................

[सा.प्र.वि. क्र. 356/366/2008/एक/4, दिनांक 05-03-2014]

24. 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार में लगाने पर प्रतिबंध– कोई भी शासकीय सेवक 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को रोजगार पर नहीं लगायेगा।

25. निर्वचन – यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न हो, तो वह शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

26. शक्तियों का प्रत्यायोजन – शासन सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि इन नियमों के अधीन उसके द्वारा या किसी विभागाध्यक्ष द्वारा प्रयोक्तव्य कोई भी शक्ति (नियम 24 तथा इस नियम के अंतर्गत शक्ति को छोड़कर), ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जैसे कि आदेश में उल्लिखित की जायें, ऐसे पदाधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोक्तव्य होगी जो कि उस आदेश में उल्लिखित किया जाये।

27. निरसन तथा व्यावृत्ति – इस नियम के अनुरूप कोई भी नियम जो कि इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त हों तथा उन शासकीय सेवकों को लागू हों जिनको कि ये नियम लागू होते हों एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियम के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया या की गई समझी जायेगी।

शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास न करना तथा स्वयं के प्रचार से दूर रहना :–

सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित ज्ञापनों द्वारा पूर्व में निर्देश जारी किए गए हैं कि शासकीय अधिकारी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में विशेष अतिथि/मुख्य अतिथि अथवा अध्यक्ष के रूप में उपस्थित होकर उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास नहीं करेंगे एवं व्यक्तिगत प्रशंसा के प्रचार से दूर रहेंगे और किसी भी शासकीय कार्यक्रम में अधिकारियों द्वारा स्वयं का सम्मान न कराया जाए और न ही किसी प्रकार का सम्मान ग्रहण किया जाए।

राज्य शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कुछ अधिकारीगण उपरोक्त निर्देशों के विपरीत आचरण कर रहे हैं जो शासन के निर्देशों तथा छत्तीसगढ़ आचरण नियम, 1965 की कंडिका-15 का स्पष्टतः उल्लंघन है। अतः पूर्व में जारी किये गये अनुदेशों के अनुक्रम में निर्देश दिए जाते हैं।

[सा.प्र.वि. क्र. एफ 10-25/2005/1/5, दिनांक 29-10-2007]

कार्यालय– आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय,
(शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 544/174/आउशि/राज.स्था./08 रायपुर दिनांक 05.05.08

प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय ....महाविद्यालय,
......................छत्तीसगढ़ .

विषय :– राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक पदों का युक्तियुक्तकरण एवं नये व्यवसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ करने बाबत्

संदर्भ :–
1. छ.ग. शासन, उ.शि.व. का पत्र क्रमांक 550/602/उशि/08/38 दिनांक 22.02.08.
2. संचालनालय का पत्र क्रमांक 408/131/आउशि./राजस्था./2008 दिनांक 19.03.08 .

–00–

उपरोक्त विषयांतर्गत राज्य शासन द्वारा निम्न महाविद्यालयों के सामने दर्शित विषयों में सहायक प्राध्यापक के पदों की स्वीकृति दी गई है । संशोधित सेट–अप जारी किये गये हैं :–

क्र.	महाविद्यालय का नाम	विषय
1	2	3
1.	शास. विज्ञान महा., रायपुर	1. कम्प्यूटर साईस 2. माईक्रोबायोलॉजी 3. सूचना प्रौद्योगिकी 4. बायोकेमेस्ट्री
2.	शास. दू.ब. महिला महा., रायपुर	1. बायोटेक्नालॉजी
3.	शास. पी.जी. महा.,महासमुन्द	1. विधि 2. मनोविज्ञान
4.	शास. पी.जी. महा., धमतरी	1. मनोविज्ञान
5.	शास. पी.जी.कला विज्ञान महा., दुर्ग	1. कम्प्यूटर साईस 2. मईक्रोबायोलॉजी 3. विधि 4. मनोविज्ञान 5. सूचना प्रौद्योगिकी
6.	शास. दिग्विजय. महा.,राजनांदगांव	1. विधि 2. बायोटेक्नालॉजी
7.	शास. पी.जी. महा., जगदलपुर	1. कम्प्यूटर साईस 2. मनोविज्ञान 3. सूचनाप्रौद्योगिकी 4. सेरिकल्चर 5. फारेस्ट्री

I.O.C. LETTER 45 (32)

Scanned with CamScanner

8.	शास. पी.जी कला वाणिज्य महा., बिलासपुर	1. विधि 1. कम्प्यूटर साईस
9.	शास. पी.जी. विज्ञान महा., बिलासपुर	2. माईक्रोबायोलॉजी 3. सूचनाप्रौद्योगिकी
		1. मनोविज्ञान
10.	शास. टी.सी.एल. महा.,जांजगीर	1. विधि
11.	शास. पी.डी. स्नातकोत्तर महा., रायगढ़	1. मनोविज्ञान
12.	शास. किरोड़ी. स्नातकोत्तर महा., रायगढ़	2. सेरिकल्चर
		1. मनोविज्ञान
13.	शास. पी.जी. महा., अम्बिकापुर	1. कम्प्यूटर साईस
14.	शास. नवीन कन्या महा., कवर्धा	1. माईक्रोबायोलॉजी
15.	शास. पी.जी. महा., कवर्धा	2. विधि 3. मनोविज्ञान 4. बायोटेक्नालॉजी 5. सूचनाप्रौद्योगिकी
		1. विधि
16.	शास. एन.ई.एस. महा., जशपुर	2. मनोविज्ञान
		1. विधि
17.	शास. पी.जी. महा.,कोरबा	2. मनोविज्ञान
		1. विधि
15.	शास. स्नातकोत्तर महा.,दंतेवाड़ा	2. मनोविज्ञान 3. फारेस्ट्री 4. सेरिकल्चर
		1. विधि
19.	शास. पी.जी. महा., बैकुण्ठपुर	2. मनोविज्ञान
20.	शास. पी.जी. महा.,कुरूद	1. बायोटेक्नालॉजी
21.	शास. पी.जी. महा.,कांकेर	1. मनोविज्ञान

कृपया शैक्षणिक सत्र 2008–09 में उक्त विषयों को स्नातक स्तर पर विषय/संकाय प्रारंभ करने की तत्काल आवश्यक कार्यवाही करें एवं की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें ।

(प्रो. जयलक्ष्मी ठाकुर)
अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक 515/512/आउशि/राज.स्था./08 रायपुर दिनांक 03-05-2008

प्रतिलिपि :–

अवर सचिव, छ.ग.शासन, उ.शि.वि., मंत्रालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर (छ.ग.)

I.O.C. LETTER 45 (33)

Scanned with CamScanner

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा
ब्लाक सी–30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन
नवा रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक–35/12/आउशि/योजना/14
प्रति,

दिनांक ./01/2015

प्राचार्य,
संबंधित शासकीय महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़।

विषयः– प्रदेश के 21 शासकीय महाविद्यालयों में कन्या छात्रावास के संचालन हेतु वर्ष 2014–15 के नवीन मद प्रस्ताव में कुल 105 पदों के सृजन की स्वीकृति।

संदर्भः– छ0ग0शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक 165 एफ 3–122/2013/38–1 दिनांक 06.01.2015

––––000––––

राज्य शासन के संदर्भित आदेशानुसार वर्ष 2014–15 के बजट में प्रावधान अनुसार प्रदेश के 21 शासकीय महाविद्यालयों में कन्या छात्रावास के संचालन हेतु स्वीकृत 106 पदों का सृजन किया जाता है, महाविद्यालयवार पद निम्नानुसार है :–

1– मांग संख्या – 41

क्र.	महाविद्यालय का नाम	पदनाम एवं वेतनमान एवं पद संख्या				कुल पद संख्या
		छात्रावास अधीक्षक (वेतनमान 5200–20200+ ग्रेड पे–2800)	भृत्य (वेतनमान 4750–7440+ ग्रेड पे– 1300)	स्वच्छक (वेतनमान 4750–7440 + ग्रेड पे– 1300)	अंशकालीन स्वच्छक (कलेक्टर दर)	
1.	शासकीय भानुप्रताप देव स्नातकोत्तर, महाविद्यालय कांकेर	1	2	1	1	5
2.	शासकीय दन्तेश्वरी महिला महाविद्यालय, जगदलपुर	1	2	1	1	5
3.	शासकीय गुंडाधुर महाविद्यालय, कोंडागांव	1	2	1	1	5
4.	शासकीय विजयभूषण सिंहदेव कन्या महाविद्यालय, जशपुर	1	2	1	1	5
5.	शासकीय ठाकुर शोभा सिंह महाविद्यालय, पत्थलगांव	1	2	1	1	5
6.	शासकीय राजीवगांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर	1	2	1	1	5
7.	शासकीय राजमोहनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर	1	2	1	1	5
	योग :–	7	14	07	07	35

2/ उक्त व्यय मांग संख्या –41–अनुसूचित जनजाति उपयोजना–2202–सामान्य शिक्षा (03) विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा–0102–अनुसूचित जनजाति उपयोजना– (103) सरकारी कालेज और संस्थाएं– (798)–कला विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय के अंतर्गत विकलनीय होगा।

क्रमशः 2

Scanned with CamScanner

2– मांग संख्या –44

क्र.	महाविद्यालय का नाम	पदनाम एवं वेतनमान एवं पद संख्या				कुल पद संख्या
		[illegible] (वेतनमान 5200-20200 + ग्रेड पे 2800)	[illegible] वेतनमान 4750-7440 + ग्रेड पे 1300	[illegible] वेतनमान 4750-7440 + ग्रेड पे 1300	अंशकालीन स्वच्छक (कलेक्टर दर)	
1.	शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर	1	2	1	1	5
2.	शासकीय दाऊ कल्याण सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदाबाजार	1	2	1	1	5
3.	शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुन्द	1	2	1	1	5
4.	शासकीय बाबू छोटेलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी	1	2	1	1	5
5.	शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग	1	2	1	1	5
6.	शासकीय डॉ. वामन वासुदेव पाटणकर कन्या महाविद्यालय, दुर्ग	1	2	1	1	5
7.	शासकीय कमलादेवी कन्या महाविद्यालय, राजनांदगांव	1	2	1	1	5
8.	शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर	1	2	1	1	5
9.	शासकीय माता शबरी नवीन कन्या महाविद्यालय, बिलासपुर	1	2	1	1	5
10.	शासकीय जे.एम.पी. महाविद्यालय, तखतपुर	1	2	1	1	5
11.	शासकीय अग्रसेन महाविद्यालय, बिल्हा	1	2	1	1	5
12.	शासकीय महामाया महाविद्यालय, रतनपुर	1	2	1	1	5
13.	शासकीय टी.सी.एल. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जांजगीर	1	2	1	1	5
14.	शासकीय मयूरध्वज महादानी राजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चांपा	1	2	1	1	5
	योग :–	14	28	14	14	70
	महायोग (मांग संख्या 41+44)	21	42	21	21	105

उक्त व्यय मांग संख्या –44–उच्च शिक्षा–2202–सामान्य शिक्षा (03) विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा –(0101)–राज्य आयोजना(सामान्य)–(103)–सरकारी कालेज और संस्थाएं–(798)–कला विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय आयोजना मद के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के नस्ती क्रमांक 2014–38–00359/बी–3/चार/2014 दिनांक 08.09.2014 द्वारा दी गई सहमति अनुसार जारी की जा रही है।

4/ उक्त पदों को भरने के पूर्व वित्त विभाग की सहमति ली जावे।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ.आर.बी.सुब्रमनियन)
अपर संचालक
उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)

क्रमशः 3

Scanned with CamScanner

103. शासकीय पी.जी. टी.सी.एल. महा., जांजगीर, जिला – जांजगीर

मांगसंख्या–44–2202–03–(103)(798) – आयोजनेत्तर / आयोजन

क्र.	पद नाम	वेतनमान	स्वीकृत पद		रिमार्क
			स्थायी	अस्थायी	
1	प्राचार्य	16400-22400	1		
2	प्राध्या. प्राणीशास्त्र	12000-18300	1		
3	प्राध्या. अर्थशास्त्र	12000-18300	1		
4	प्राध्या. हिन्दी	12000-18300	1		
5	प्राध्या. राजनीतिशास्त्र	12000-18300	1		
6	प्राध्या. इतिहास	12000-18300	1		
7	प्राध्या. रसायन	12000-18300	1		
8	प्राध्या. भौतिक	12000-18300	1		
9	स.प्रा. भौतिकशास्त्र	8000-13500	1		
10	स.प्रा. गणित	8000-13500	1		
11	स.प्रा. वनस्पति	8000-13500	1		
12	स.प्रा. प्राणीशास्त्र	8000-13500	2		
13	स.प्रा. रसायन	8000-13500	2		
14	स.प्रा. हिन्दी	8000-13500	3		
15	स.प्रा. अंग्रेजी	8000-13500	2		
16	स.प्रा. संस्कृत	8000-13500	1		
17	स.प्रा. दर्शनशास्त्र	8000-13500	1		
18	स.प्रा. समाजशास्त्र	8000-13500	2		
19	स.प्रा. राजनीति	8000-13500	2		
20	स.प्रा. अर्थशास्त्र	8000-13500	1		
21	स.प्रा. इतिहास	8000-13500	2		
22	स.प्रा. वाणिज्य	8000-13500	3		
23	स.प्रा. गृहविज्ञान	8000-13500	1		
24	स.प्रा. विधि	8000-13500	-	5	
25	स.प्रा. मनोविज्ञान	8000-13500	2		
26	क्रीड़ाधिकारी	8000-13500	1		
27	ग्रंथपाल	8000-13500	1		
28	रजिस्ट्रार	4500-7000	1		
29	सहायक ग्रेड –1	4000-6000	1		
30	सहायक ग्रेड –2	3050-4590	2		
31	सहायक ग्रेड –3	2550-3200	1		
32	बुकलिफ्टर	2550-3200	3		
33	भृत्य	4000-6000	5		
34	प्रयो. तकनीशियन	2750-4400	5		
35	प्रयो. परिचारक	3050-4590	-	1	
36	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	2550-3200	1		
37	चौकीदार	2550-3200	1		
38	फर्राश	2550-3200	1		
39	माली	योग :–	59	6	

अपर संचालक
उच्चशिक्षा संचालनालय,
रायपुर (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 3 [illegible] 44 / 16 / 38-1

रायपुर, दिनांक 12 / 08 / 2016

प्रति,

आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय
इंद्रावती भवन, नया रायपुर

विषय :- मुख्य बजट वर्ष 2016–17 में प्रावधान अनुसार शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नवीन विषय एवं पद सृजन की स्वीकृति।

संदर्भ :- आपकी टीप कमांक 11 / आ.उ.शि / योजना 2016 ।

राज्य शासन, एतद् द्वारा, बजट वर्ष 2016–17 में मांग संख्या कमांक 44, 41 एवं 64 अंतर्गत प्रावधान अनुसार निम्नलिखित शासकीय महाविद्यालयों में निम्नानुसार स्नातक स्तर पर उनके समक्ष दर्शाए पाठ्यकम / नवीन विषय / संकाय प्रारंभ करने तथा सहायक प्राध्यापक, प्रयोगशाला तकनीशियन एवं प्रयोगशाला परिचारक के पद सृजन की स्वीकृति प्रदान करता है :–

1. मांग संख्या 44 :–

क्र.	महाविद्यालय का नाम	पाठ्यकम	विषय	सृजित पद सहायक प्राध्यापक	सृजित पद प्रयोगशाला तकनीशियन	सृजित पद प्रयोगशाला परिचारक
1	2	3	4	5	6	7
1	शास. शहीद बापूराव महाविद्यालय, सुकमा, जिला सुकमा	बी.एस.सी.	रसायनशास्त्र	1	2	2
			प्राणीशास्त्र	1		
			वनस्पतिशास्त्र	1		
			भौतिकशास्त्र	1		
			गणित	1		
2	शास. गजानंद माधव मुक्तिबोध महाविद्यालय, सहसपुर लोहारा, जिला कबीरधाम	बी.एस.सी.	रसायनशास्त्र	1	2	2
			प्राणीशास्त्र	1		
			वनस्पतिशास्त्र	1		
			भौतिकशास्त्र	1		
			गणित	1		
3	शास. राजीव गांधी कला/वाणिज्य महाविद्यालय, लोरमी जिला मुंगेली	बी.कॉम.	वाणिज्य	3	–	–
		बी.एस.सी.	रसायनशास्त्र	1	2	2
			प्राणीशास्त्र	1		
			वनस्पतिशास्त्र	1		
			भौतिकशास्त्र	1		
			गणित	1		
4	शास. मिनीमाता कन्या महाविद्यालय, बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार	बी.एस.सी.	रसायनशास्त्र	1	2	2
			प्राणीशास्त्र	1		
			वनस्पतिशास्त्र	1		
			भौतिकशास्त्र	1		
			गणित	1		

निरंतर......

Scanned with CamScanner

महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम	विषय	सहायक प्राध्यापक	सृजित पद प्रयोगशाला तकनीशियन	प्रयोगशाला परिचारक
2	3	4	5	6	7
शास. वीर सुरेन्द्र साय महाविद्यालय गरियाबंद जिला गरियाबंद	बी.एस.सी.	रसायनशास्त्र	1	2	2
		प्राणीशास्त्र	1		
		वनस्पतिशास्त्र	1		
		भौतिकशास्त्र	1		
		गणित	1		
शा. नारायण राव मेघावाले [illegible] महाविद्यालय धमतरी, जिला धमतरी	बी.एस.सी.	रसायनशास्त्र	1	2	2
		प्राणीशास्त्र	1		
		वनस्पतिशास्त्र	1		
		भौतिकशास्त्र	1		
		गणित	1		
	बी.कॉम.	वाणिज्य	3	—	—
शास. नवीन कन्या महाविद्यालय बेमेतरा जिला बेमेतरा	बी.एस.सी.	प्राणीशास्त्र	1	1	1
		वनस्पतिशास्त्र	1		
शास. रेवतीरमण मिश्र महाविद्यालय सूरजपुर जिला सूरजपुर	बी.एस.सी.	रसायनशास्त्र	1	2	2
		प्राणीशास्त्र	1		
		वनस्पतिशास्त्र	1		
		भौतिकशास्त्र	1		
		गणित	1		
शासकीय कुंजबिहारी चौबे महाविद्यालय, लालबहादुर नगर, जिला राजनांदगांव	बी.एस.सी.	रसायनशास्त्र	1	2	2
		प्राणीशास्त्र	1		
		वनस्पतिशास्त्र	1		
		भौतिकशास्त्र	1		
		गणित	1		
शासकीय [illegible] महाविद्यालय, पिथौरा, जिला महासमुंद	बी.एस.सी.	रसायनशास्त्र	1	2	2
		प्राणीशास्त्र	1		
		वनस्पतिशास्त्र	1		
		भौतिकशास्त्र	1		
		गणित	1		
शासकीय वीरांगना अवंती बाई महाविद्यालय, छुईखदान, जिला राजनांदगांव	बी.एस.सी.	रसायनशास्त्र	1	2	2
		प्राणीशास्त्र	1		
		वनस्पतिशास्त्र	1		
		भौतिकशास्त्र	1		
		गणित	1		
शासकीय प. श्याम शंकर मिश्र महाविद्यालय, देवभोग, जिला गरियाबंद	बी.एस.सी.	गणित	1	1	1
		भौतिकशास्त्र	1		
शास. नवीन महाविद्यालय, [illegible] (आर), जिला दुर्ग	बी.एस.सी.	गणित	1	1	1
		भौतिकशास्त्र	1		
शासकीय महाविद्यालय, गुरूर, जिला बालोद	बी.एस.सी.	गणित	1	1	1
		भौतिकशास्त्र	1		
शासकीय नवीन महाविद्यालय, अरमरीकला, जिला बालोद	बी.एस.सी.	गणित	1	1	1
		भौतिकशास्त्र	1		
संत गुरु घासीदास शास. पी.जी. महाविद्यालय, कुरूद जिला धमतरी	बी.एस.सी.	माइक्रोबायोलॉजी	1	1	1
		कम्प्यूटर साइंस	1		

निरंतर......

Scanned with CamScanner

क्र.	महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम	विषय	सहायक प्राध्यापक	सृजित पद प्रयोगशाला तकनीशियन	प्रयोगशाला परिचारक
1	2	3	4	5	6	7
17	[illegible] महाविद्यालय [illegible] जिला [illegible]	बी.एस.सी	सूचना प्रौद्योगिकी	1	1	1
18	[illegible] पी.जी. महाविद्यालय [illegible] जिला [illegible]	बी.एस.सी	बायोटेक्नोलॉजी	1	1	1
19	शासकीय [illegible] सिंह गुप्त पी.जी. महाविद्यालय बालोद, जिला बालोद	बी.एस.सी	बायोटेक्नोलॉजी	1	1	1
		बी.ए	भूगोल	1		
20	शासकीय [illegible] पी.जी. महाविद्यालय बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार	बी.एस.सी.	बायोटेक्नोलॉजी	1	1	1
21	शास. डॉ. [illegible] महाविद्यालय वैशालीनगर, जिला दुर्ग	बी.एस.सी.	माईक्रोबायोलॉजी	1	1	1
			कम्प्यूटर साईंस	1		
	शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग, जिला दुर्ग	बी.एस.सी.	बायोटेक्नोलॉजी	1	–	–
	[illegible] शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी, जिला धमतरी	बी.एस.सी.	सूचना प्रौद्योगिकी	1	1	1
	[illegible] स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दंतेवाड़ा, जिला दंतेवाड़ा	बी.एस.सी	सूचना प्रौद्योगिकी	1	1	1
			कम्प्यूटर साईंस	1		
	शासकीय ई. राघवेन्द्र राव स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर	बी.एस.सी.	बायोटेक्नोलॉजी	1	–	–
	शासकीय महाविद्यालय, लवन, जिला बलौदाबाजार	बी.एस.सी.	गणित	1	1	1
			भौतिकशास्त्र	1		
	शासकीय महाविद्यालय, बेरला, जिला बेमेतरा	बी.ए.	अर्थशास्त्र	1	–	–
	शास. नवीन महाविद्यालय, बोरी, जिला दुर्ग	बी.एस.सी.	गणित	1	–	–
			भौतिकशास्त्र	1		
	शास. महाविद्यालय, गोबरा नवापारा, जिला रायपुर	बी.एस.सी.	गणित	1	1	1
			भौतिकशास्त्र	1		
	शास. महाविद्यालय, खुर्सीपार, जिला दुर्ग	बी.ए	समाजशास्त्र	1	–	–
	शास. महाविद्यालय, चिरमिरी, जिला कोरिया	बी.सी.ए	कम्प्यूटर एप्लीकेशन	1	1	1
			योग	89	37	37

उपरोक्तानुसार मांग संख्या 44 के अंतर्गत कुल 31 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नवीन संकाय/विषय प्रारंभ करने हेतु कुल 89 सहायक प्राध्यापक, 37 प्रयोगशाला तकनीशियन एवं 37 प्रयोगशाला परिचारक के पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

निरंतर......

Scanned with CamScanner

उक्त पदों के सृजन पर आने वाला व्यय मांग संख्या 44-उच्च शिक्षा 2202-सामान्य शिक्षा (03) विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा (800) राज्य आयोजना सामान्य (103)- सरकारी कॉलेज और संस्थाएं (08) कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय, आयोजना मद के अंतर्गत विकलनीय होगा।
मद संख्या [illegible]

क्र.	महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम	विषय	सृजित पद		
				सहायक प्राध्यापक	प्रयोगशाला तकनीशियन	प्रयोगशाला परिचारक
1	2	3	4	5	6	7
1	शास. माधवराव सप्रे महाविद्यालय, पेण्ड्रारोड, जिला बिलासपुर	बी.एस.सी	रसायनशास्त्र प्राणीशास्त्र वनस्पतिशास्त्र भौतिकशास्त्र गणित	1 1 1 1 1	2	2
2	शास. मिनीमाता कन्या महाविद्यालय कोरबा, जिला कोरबा	बी.एस.सी.	रसायनशास्त्र प्राणीशास्त्र वनस्पतिशास्त्र भौतिकशास्त्र गणित	1 1 1 1 1	2	2
3	शास. लाल श्याम शाह महाविद्यालय, मानपुर, जिला राजनांदगांव	बी.एस.सी.	प्राणीशास्त्र वनस्पतिशास्त्र	1 1	1	1
4	शास. दण्डकारण्य महाविद्यालय, केशकाल, जिला कोण्डागांव	बी.एस.सी.	गणित भौतिकशास्त्र	1 1	–	–
5	शास. नवीन महाविद्यालय, फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद	बी.एस.सी.	गणित भौतिकशास्त्र	1 1	–	–
6	शास. शहीद गैंद सिंह महाविद्यालय, चारामा, जिला कांकेर	बी.एस.सी.	गणित भौतिकशास्त्र	1 1	–	–
7	शास. महाविद्यालय, घरघोड़ा, जिला रायगढ़	बी.एस.सी.	भौतिकशास्त्र	1	–	–
8	शास. राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर, जिला सरगुजा	बी.एस.सी.	कम्प्यूटर साईंस	1	–	–
9	शास. लरंगसाय महाविद्यालय, रामानुजगंज, जिला बलरामपुर	बी.एस.सी.	गणित भौतिकशास्त्र	1 1	–	–
10	शास. इंदरू केंवट कन्या महाविद्यालय, कांकेर, जिला कांकेर	बी.एस.सी.	रसायनशास्त्र प्राणीशास्त्र वनस्पतिशास्त्र	1 1 1	2	2

निरंतर....

Scanned with CamScanner

शास. [illegible] महाविद्यालय, प्रतापपुर, जिला सूरजपुर	बी.एस.सी	रसायनशास्त्र	1		
		प्राणीशास्त्र	1		
		वनस्पतिशास्त्र	1	7	7
		भौतिकशास्त्र	1		
		गणित	1		
शास. बाला साहेब देशपाण्डे महाविद्यालय, कुनकुरी जिला जशपुर	बी.एस.सी	गणित	1	–	
		भौतिकशास्त्र	1		
शास. महाविद्यालय, [illegible] जिला कोरबा	बी.एस.सी	गणित	1	–	–
		भौतिकशास्त्र	1		
शास. नवीन महाविद्यालय, मैनपुर, जिला गरियाबंद	बी.एस.सी	प्राणीशास्त्र	1	1	1
		वनस्पतिशास्त्र	1		
शास. महाविद्यालय, [illegible], जिला राजनांदगांव	बी.एस.सी.	गणित	1	–	–
		भौतिकशास्त्र	1		
शास. वीर गैंद सिंह महाविद्यालय, पखांजूर, जिला कांकेर	बी.काम.	वाणिज्य	3	–	–
शास. महाविद्यालय, जनकपुर, जिला कोरिया	बी.ए.	भूगोल	1	–	–
शास. महाविद्यालय, [illegible]पुर जिला सरगुजा	बी.ए.	भूगोल	1	–	–
शास. महाविद्यालय, [illegible], जिला-रायगढ़	बी.ए.	इतिहास	1	–	–
शास. महाविद्यालय, [illegible] जिला कोण्डागांव	बी.ए.	इतिहास	1	–	–
शास. महाविद्यालय, फरसगांव, जिला कोण्डागांव	बी.ए.	इतिहास	1	–	–
		कुल–	46	10	10

उपरोक्तानुसार मांग संख्या 41 के अंतर्गत कुल 21 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नवीन संकाय/विषय प्रारंभ करने हेतु कुल 46 सहायक प्राध्यापक, 10 प्रयोगशाला तकनीशियन एवं 10 प्रयोगशाला परिचारक के पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त पदों के सृजन पर आने वाले व्यय मांग संख्या-41-अनुसूचित जनजाति उपयोजना 2202 सामान्य शिक्षा-(03) विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना (103) सरकारी कालेज और संस्थाएं-798-कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय, अनुसूचित जनजाति उपयोजना मद के अंतर्गत विकलनीय होगा।

निरंतर——

Scanned with CamScanner

क्र.	महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम	विषय	सहायक प्राध्यापक	सृजित पद प्रयोगशाला तकनीशियन	प्रयोगशाला परिचारक
1	2	3	4	5	6	7
1	शास. शहीद वीरनारायण सिंह महाविद्यालय, बिलाईगढ़, जिला बलौदाबाजार	बी.एस.सी.	रसायनशास्त्र	1		
			वनस्पतिशास्त्र	1		
			प्राणीशास्त्र	1	2	2
			भौतिकशास्त्र	1		
			गणित	1		
2	शास. महाविद्यालय, गैरता, जिला कोरबा	बी.एस.सी.	रसायनशास्त्र	1		
			वनस्पतिशास्त्र	1		
			प्राणीशास्त्र	1	2	2
			भौतिकशास्त्र	1		
			गणित	1		
3	शास. राजमहंत नयनदास महिला महाविद्यालय, भटगांव, जिला बलौदाबाजार	बी.एस.सी.	रसायनशास्त्र	1		
			वनस्पतिशास्त्र	1		
			प्राणीशास्त्र	1	2	2
4	शास. कुंजलाल वर्मा महाविद्यालय, पलारी, जिला बलौदाबाजार	बी.एस.सी.	रसायनशास्त्र	1		
			वनस्पतिशास्त्र	1		
			प्राणीशास्त्र	1	2	2
			भौतिकशास्त्र	1		
			गणित	1		
5	शास. कोदूराम दलित महाविद्यालय, नवागढ़, जिला बेमेतरा	बी.एस.सी.	रसायनशास्त्र	1		
			वनस्पतिशास्त्र	1	2	2
			प्राणीशास्त्र	1		
			भौतिकशास्त्र	1		
			गणित	1		
6	शास. महाविद्यालय, थानखम्हरिया, जिला बेमेतरा	बी.एस.सी.	रसायनशास्त्र	1		
			वनस्पतिशास्त्र	1	2	2
			प्राणीशास्त्र	1		
			भौतिकशास्त्र	1		
			गणित	1		
		बी.सी.ए.	कम्प्यूटर एप्लीकेशन	2	1	1
7	शास. महाविद्यालय, हसौद, जिला-जांजगीर चांपा	बी.ए.	भूगोल	1		
8	शास. स्व. देवी प्रसाद चौबे महाविद्यालय, गंडई, जिला-राजनांदगांव	बी.एस.सी.	प्राणीशास्त्र	1	1	1
			वनस्पतिशास्त्र	1		

निरंतर......

Scanned with CamScanner

क्र.	महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम	विषय	सृजित पद सहायक प्राध्यापक	प्रयोगशाला तकनीशियन	प्रयोगशाला परिचारक
1	2	3	4	5	6	7
9	शास. महाविद्यालय, डंगेपुर, जिला जांजगीर चांपा	बी.ए.	इतिहास	1	–	–
10	शास. टी.सी.एल. महाविद्यालय, जांजगीर, जिला जांजगीर चांपा	बी.एस.सी.	माइक्रोबायोलॉजी	1		
			बायोटेक्नोलॉजी	1	1	1
			कुल:–	36	15	15

उपरोक्तानुसार मांग संख्या 64 के अंतर्गत कुल 10 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नवीन संकाय/विषय प्रारंभ करने हेतु 36 सहायक प्राध्यापक, 15 प्रयोगशाला तकनीशियन एवं 15 प्रयोगशाला परिचारक तकनीशियन के पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त पदों के सृजन पर आने वाला व्यय मांग संख्या–64–अनुसूचित जाति उपयोजना–2202–सामान्य शिक्षा–(03)–विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा–0103–अनुसूचित जाति उपयोजना (103)–सरकारी कालेज और संस्थाएं–798–कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय, अनुसूचित जाति उपयोजना मद के अंतर्गत विकलनीय होगा।

इस प्रकार मांग संख्यावार महाविद्यालयों की संख्या एवं बजट 2016–17 में सृजित कुल पदों एवं उनके वेतनमान संबंधी स्वीकृति निम्नानुसार है:–

मांग संख्या	महाविद्यालय संख्या	सृजित पद एवं उनका वेतनमान सहायक प्राध्यापक	प्रयोगशाला तकनीशियन	प्रयोगशाला परिचारक	योग
44	31	89	37	37	163
41	21	46	10	10	66
64	10	36	15	15	66
योग :–	62	171	62	62	295
	वेतन बैंड	15600–39100	5200–20200	5200–20200	
	ग्रेडवेतन	6000	2400	1800	

1. उपरोक्त आदेश में किसी प्रकार की विसंगति होने पर या महाविद्यालय में उपरोक्त में से कोई विषय/पाठ्यक्रम पूर्व से स्वीकृत होने, अथवा महाविद्यालय को संबंधित विषय/पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं होने पर प्राचार्य की जवाबदारी होगी कि आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर उच्च शिक्षा संचालनालय को ई–मेल से अथवा विशेष वाहक के हस्ते सूचित करेंगे।
2. जिन महाविद्यालयों में उपरोक्त स्वीकृत विषय/संकाय/पाठ्यक्रम का संचालन जनभागीदारी अथवा स्व वित्तीय मद से किया जा रहा है, उन्हें इसी सत्र 2016–17 से नियमित विभागीय विषय/संकाय/पाठ्यक्रम के अंतर्गत संचालित किया जायेगा तथा जनभागीदारी/स्व–वित्तीय व्यवस्था को तत्काल बंद किया जायेगा।

निरंतर.....

Scanned with CamScanner

स्वीकृति जारी होने में विलंब को देखते हुए आदेशित किया जाता है कि संबंधित महाविद्यालय में उपरोक्त विषय/संकाय/पाठ्यक्रम को इसी सत्र 2016-17 से प्रारंभ किया जावे तथा प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए 31.08.2016 तक की तिथि निर्धारित की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक एफ 2016:[illegible]/व-3/चार, दिनांक [illegible] 08 2016 द्वारा दी गई सहमति अनुसार जारी की जा रही है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से
तथा आदेशानुसार

(डॉ. समरेन्द्र सिंह)
राज्य संपर्क अधिकारी व पदेन
उप सचिव, छ.ग. शासन,
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय

क्रमांक एफ 3-44/16/38-1 रायपुर, दिनांक 12/08/2016

प्रतिलिपि :-

01 माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर, छ.ग.
02 माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.
03 विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.
04 मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.
05 प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.
06 महालेखाकार, छ.ग. रायपुर
07 सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.
08 कुलपति, ... विश्वविद्यालय .... को सूचनार्थ।
09 कुल सचिव, ... विश्वविद्यालय .... को आवश्यक कार्यवाही एवं सम्बद्धता हेतु।
10 संबंधित जिला कलेक्टर, जिला .... , छ.ग.
11 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.
12 संबंधित क्षेत्रीय अपर संचालक .... छ.ग.
13 संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, जिला .... जिला .... छ.ग.
14 संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, ... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15 आदेश फोल्डर।

राज्य संपर्क अधिकारी व पदेन
उप सचिव, छ.ग. शासन,
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,

क्रमांक एफ 3-[illegible]/2020/38-1
प्रति,

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक /[illegible]/2020

आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय
इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर
रायपुर (छ०ग०)।

विषय – प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2020-21 से स्ववित्तीय योजना अन्तर्गत स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय/पाठ्यक्रम संकाय प्रारंभ करने हेतु अनुमति प्रदान करने बाबत।

संदर्भ – आप का पत्र क्रमांक 313/38/आउशि/वि.वि.अनु./20, दि. 26/06/2020

राज्य शासन एतद् द्वारा आयुक्त कार्यालय द्वारा प्रदेश के 05 शासकीय महाविद्यालयों में सत्र [2020]-21 से स्ववित्तीय योजना अन्तर्गत निम्नानुसार स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय/पाठ्यक्रम [प्रारंभ] प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करता है :-

महाविद्यालय का नाम	प्रस्तावित पाठ्यक्रम	वांछित सीट संख्या
श्री कुलेश्वर महादेव शास. महा. गोबरा नवापारा	योग में डिप्लोमा	20
शासकीय विश्वनाथ तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग	पी.जी. डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन एंड फिलासफी	20
	सर्टिफिकेट कोर्स इन ह्यूमन राइट्स (CHR)	20
	सर्टिफिकेट कोर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट (CDM)	20
	सर्टिफिकेट कोर्स इन [illegible] (C[illegible])	20
	सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिकेशन [illegible]	20
	सर्टिफिकेट कोर्स इन [illegible] (C[illegible])	20
	सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्प्यूटर [illegible] (C[illegible])	20
	सर्टिफिकेट कोर्स इन [illegible] स्किल (CBS)	20

Scanned with CamScanner

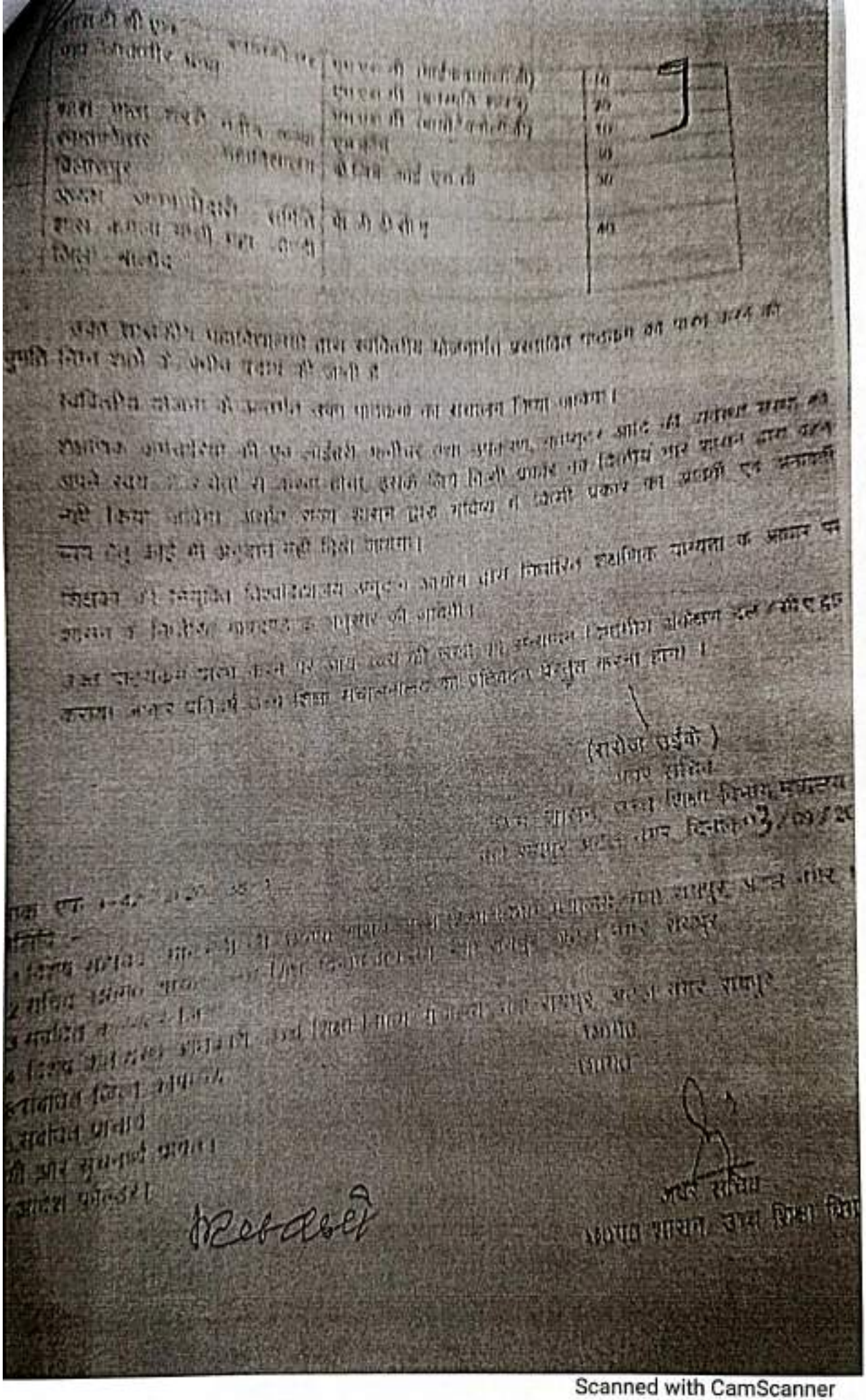

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible] शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है

[illegible] किया जायेगा।

[illegible] नहीं किया जायेगा [illegible] किसी प्रकार का [illegible]

[illegible] नहीं दिया जायेगा।

[illegible] की जायेगी।

[illegible] करना होगा।

[illegible]

(राजेश पाण्डेय)

अवर सचिव

[illegible] उच्च शिक्षा विभाग [illegible]

[illegible] दिनांक 3/09/20[illegible]

[illegible]

प्रतिलिपि -

[illegible]

अवर सचिव

[illegible] शासन, उच्च शिक्षा विभाग [illegible]

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन,नया रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 3-39/2020/38-1 नया रायपुर,अटल नगर, दिनांक /07/2020

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नया रायपुर।

विषय :- प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2020-21 से प्रवेश मार्गदर्शिका के कंडिका 3.1 के अनुसार विभिन्न विषय/पाठ्यक्रम में निर्धारित सीट संख्या में सीट वृद्धि बाबत्।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 14/08/आउशि/बजट/2020-21, दिनांक 22/06/2020

--

राज्य शासन एतद् द्वारा राज्य में संचालित विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2020-21 में प्रवेश मार्ग-दर्शिका की कंडिका 3.1 के अनुसार विभिन्न विषय/पाठ्यक्रम में निर्धारित सीट संख्या में निम्नानुसार सीट वृद्धि करने की अनुमति दी जाती है :-

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा का नाम	सीट वृद्धि संख्या
1	शास. इ.वि. स्नातकोत्तर अग्रणी महा. कोरबा	बी.सी.ए.	30
2	शास. दंतेश्वरी महिला महा. जगदलपुर	बी.एस.सी.(विज्ञान समूह)	150
3	शास. डॉ बाबा साहेब भीम अंबेडकर स्नातकोत्तर महा. डोंगरगांव	एम.एस.सी(वनस्पति शास्त्र)	15
		एम.एस.सी(प्राणी शास्त्र)	15
4	शास. महामाया महाविद्यालय रतनपुर	बी.एस.सी.(विज्ञान)	30
		बी.ए.	40
5	शास. टी.सी.एल स्नातकोत्तर महा. जांजगीर	बी.एस.सी(रसायन,जन्तु विज्ञान वनस्पति विज्ञान माईक्रोबायलोजी जैव प्रौद्योगिकी	60
		बी.एस.सी.(भौतिकी,रसायन,कम्प्यूटर, साईंस, गणित)	50
		एम.एस.सी (भौतिकी)	5
		एम.एस.सी (गणित)	5

निरंतर......

	शास. डॉ. राघवेन्द्र राव स्नातकोत्तर विज्ञान महा. बिलासपुर	बी.एस.सी(विज्ञान)	20
		बी.एस.सी(गणित)	20
		बी.एस.सी(कम्प्यूटर साईंस)	20
		बी.एस.सी(सूचना प्रौद्योगिकी)	20
		बी.सी.ए	20
		एम.एस.सी (भौतिकी)	20
		एम.एस.सी (वनस्पति शास्त्र)	20
		एम.एस.सी (रसायन शास्त्र)	20
		एम.एस.सी (गणित)	20
		एम.एस.सी (माइक्रोबायोलॉजी)	20
		एम.एस.सी (प्राणीशास्त्र)	20
		पी.जी.डी.सी.ए	20

उपरोक्त शासकीय महाविद्यालयों में निम्नलिखित शर्तों के आधार पर सीट वृद्धि की जावेगी :–

1. शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों आदि की व्यवस्था संस्था को स्वयं करनी होगी।
2. फर्नीचर तथा उपकरण, कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था संस्था को अपने स्वयं के स्त्रोतों से वहन करना पड़ेगा।
3. भविष्य में किसी भी प्रकार का आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय हेतु कोई अनुदान नहीं दिया जावेगा।
4. यह सीट वृद्धि का प्रस्ताव सत्र 2020–21 से प्रभावशील रहेगा।

(रविन्द्र कुमार मेढेकर)
अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21.10.2020

क्रमांक एफ 3–39/2020/38–1

प्रतिलिपि :–

1.विशेष सहायक, मान.मंत्री जी, छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय, नया रायपुर।
2.सचिव, छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, नया रायपुर की
3.संबंधित कलेक्टर जिला.....
4 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
5.संबंधित जिला कोषालय छ0ग0,
6.संबंधित प्राचार्य.....छ0ग0
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7.आदेश फोल्डर।

अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

Scanned with CamScanner